वार्षिक रिपोर्ट
1991 — 92

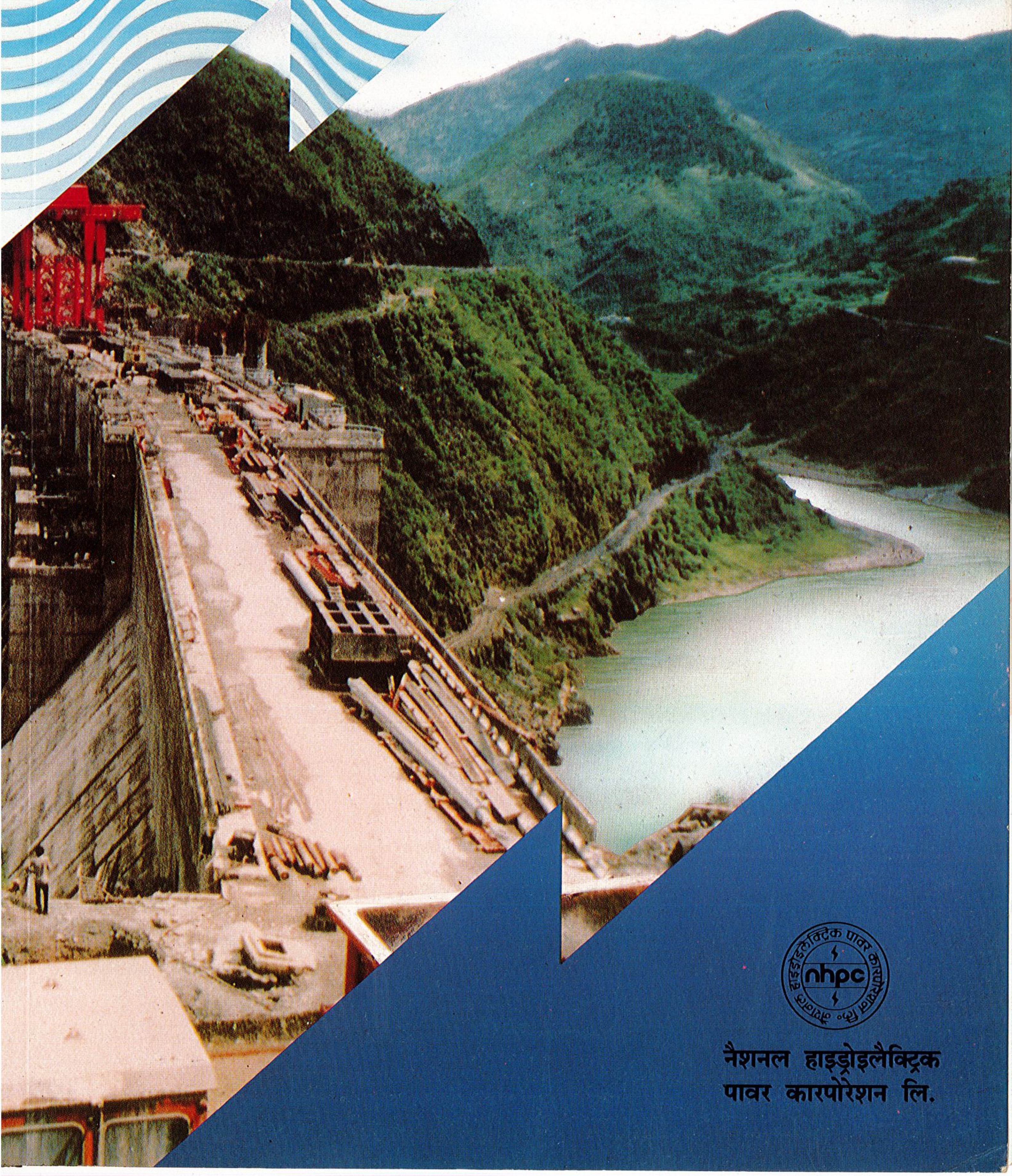

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक
पावर कारपोरेशन लि.

उत्थापनाधीन टरबाईन का एक दृश्य-चमेरा चरण-। परियोजना

विषय-सूची

निदेशक मण्डल 2

अध्यक्षीय भाषण 3

निदेशकों की रिपोर्ट 6

लेखे 22

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 39

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 42

निदेशक मंडल

(01-01-93)

श्री जी.पी. सिंह

श्री के.के. वोहरा

श्री टी. सेथुमाधवन

श्री एस.आर. नरसिम्हन

श्री वी.के. दीवान

श्री ए.बी. जोशी

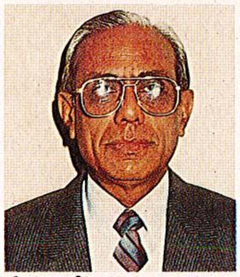

श्री एन.वी. रामन
कम्पनी सचिव व
महा प्रबंधक (विधि)

लेखापरीक्षक :

सांविधिक लेखापरीक्षक :
मै. सुमेर बंसल एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
36, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

संयुक्त शाखा लेखापरीक्षक :
मै. हिंगोरानी एम. एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
35, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

मै. ज्ञान अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
डी-288-289,
गली नं. 10 चैम्बर,
द्वितीय मंजिल, लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110092

शाखा लेखापरीक्षक :
मै. एन. सरकार एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट,
कलकत्ता-700072

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजीकृत कार्यालय :

'हेमकुंट टावर',
98, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

अध्यक्षीय भाषण

साथियों,

कारपोरेशन की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1991-92 के लिए लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है।

कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 49.30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 243.94 करोड़ रुपए का लेनदेन किया जो कि पिछले वर्ष 223.95 करोड़ रुपए था। कारपोरेशन की संचालित यूनिटों ने 3198 मि.यू. उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 3567.110 मि.यू. उत्पादन किया जो कि लक्ष्य की 111.54% उपलब्धि रही है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में 120 मेगावाट की टनकपुर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया है। इस परियोजना की तीनों यूनिटों ने अब विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है। परियोजना से लाभभोक्ता राज्यों को बिजली दी जा रही है।

कारपोरेशन, वर्ष 1991-92 के लिए पहले समझौता ज्ञापन में सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों में से अधिकांश को पूरा करने में समर्थ हुई है।

आपकी कारपोरेशन के सामने भारी वित्तीय संकट आ जाने के कारण निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए थे। एन.एच.पी.सी. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण 615 करोड़ रुपए

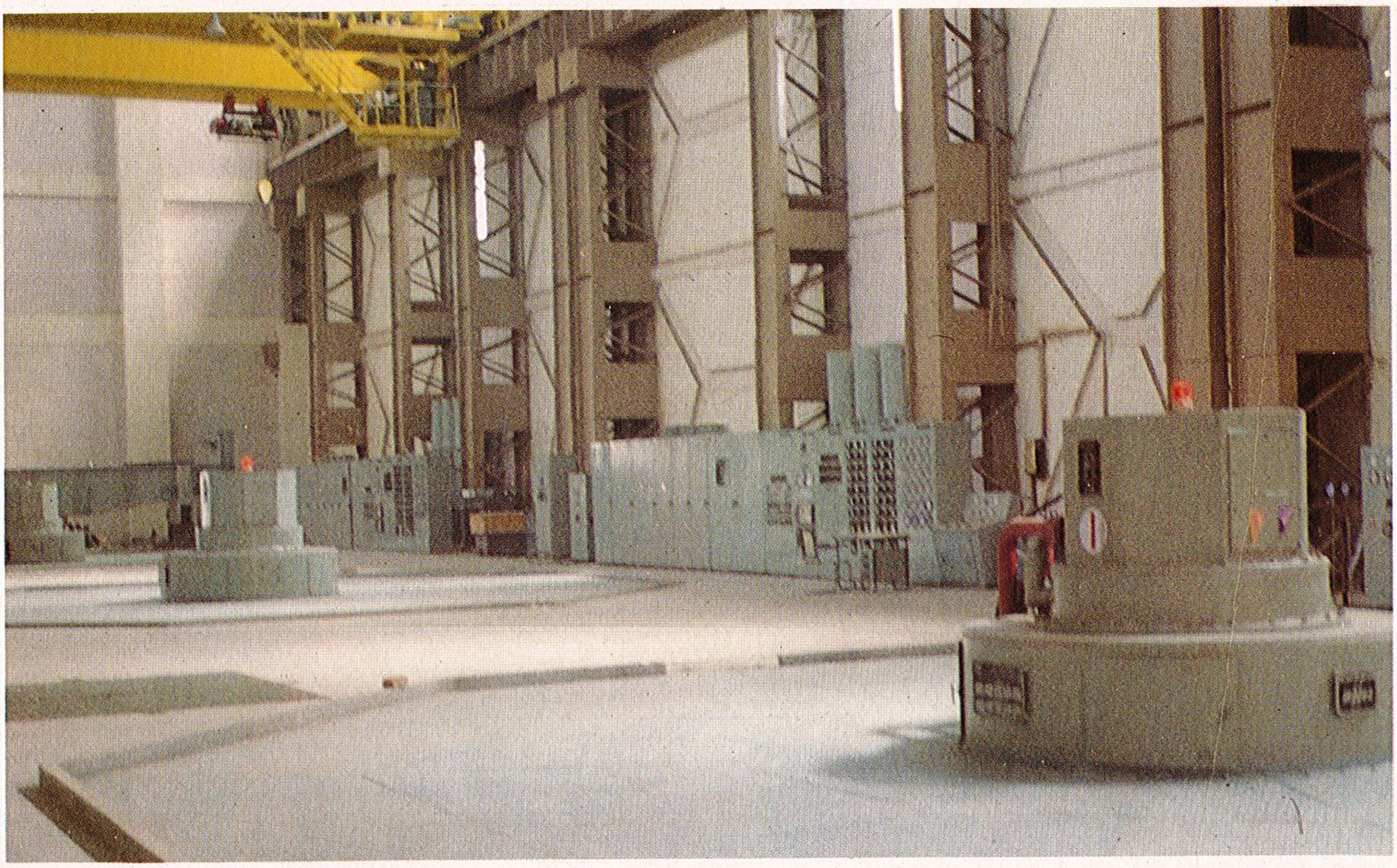

पावर हाउस का आन्तरिक दृश्य-टनकपुर परियोजना

के लक्ष्य की तुलना में केवल 197 करोड़ रुपए की राशि बांडों से बढ़ाने में समर्थ हो पाई है। कारपोरेशन ने लाभभोक्ता राज्यों से बकाया राशि की वसूली के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। फिर भी 31.3.92 तक कारपोरेशन की 197.39 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न लाभभोक्ताओं के पास बकाया थी।

वित्तीय वर्ष 1991-92 की समाप्ति तक प्रदत्त पूंजी 1922,41,40,000 रुपए थी जो बाद में अगस्त, 1992 की समाप्ति तक 2080,13,40,000 रुपए हो गई।

चमेरा चरण-I परियोंजना में निर्माण गतिविधियों की प्रगति पावर सुरंग में मई तथा जून, 1992 में दो बाधाएं (केविटीज़) आ जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई थी। दोनों केविटीज़ का उपचार अब पूरा कर लिया गया है तथा सुरंग की बैंचिंग तथा लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। कारपोरेशन का इस परियोजना को जून, 1993 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

कारपोरेशन ने सलाल चरण-II की चौथी यूनिट को चालू करने का कार्यक्रम सितम्बर, 1993 से पहले मार्च, 1993 कर लिया है। दुलहस्ती परियोजना का निर्माण कार्य फ्रैंच कंसोर्टियम द्वारा अगस्त, 1992 में बन्द कर दिया गया था। फ्रैंच कंसोर्टियम द्वारा उठाए गए मामलों के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि परियोजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पुनः शुरू किया जा सके।

उड़ी परियोजना में स्विस कंसोर्टियम ने संरचनात्मक गतिविधियों तथा विभिन्न मुख्य-मुख्य हिस्सों पर खुदाई कार्य दिसम्बर, 1991 में शुरू किया है। रंगित परियोजना में सुरंग का कार्य तेजी पर है।

कोयलकारो व धौलीगंगा चरण-I परियोजनाओं पर निर्माण कार्य के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है और वित्तीय संसाधनों के इकट्ठा होते ही कारपोरेशन यथाशीघ्र इन पर कार्य शुरू करेगी। चमेरा चरण-II परियोजना के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जल्दी ही विश्वव्यापी टेंडर जारी किये जाने वाले हैं। सिक्किम में तीस्ता चरण-III परियोजना के लिये कारपोरेशन को पांच प्राइवेट पार्टियों से संयुक्त भागीदारी के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में कालिम्पोंग परियोजना का विस्तृत पूर्व-निर्माण अन्वेषण कार्य भी पूरे कर लिए हैं। इस परियोजना का निष्पादन एन.एच.पी.सी. द्वारा डिपाजिट कार्य के तौर पर किया जाएगा। इस कारपोरेशन के विभिन्न ट्रांसमिशन नेटवर्क हाल ही में स्थापित भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सौंप दिए गए हैं। इस प्रकार हस्तान्तरित की गई इन ट्रांसमिशन लाइनों के जल्दी ही पूरा होने की आशा है।

कारपोरेशन द्वारा शुरू किए गए वैकल्पिक और अनिवार्य वनरोपण कार्यक्रम विभिन्न परियोजना स्थलों पर कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं। कारपोरेशन ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए भी सतत् प्रयास किए हैं। हाल ही में

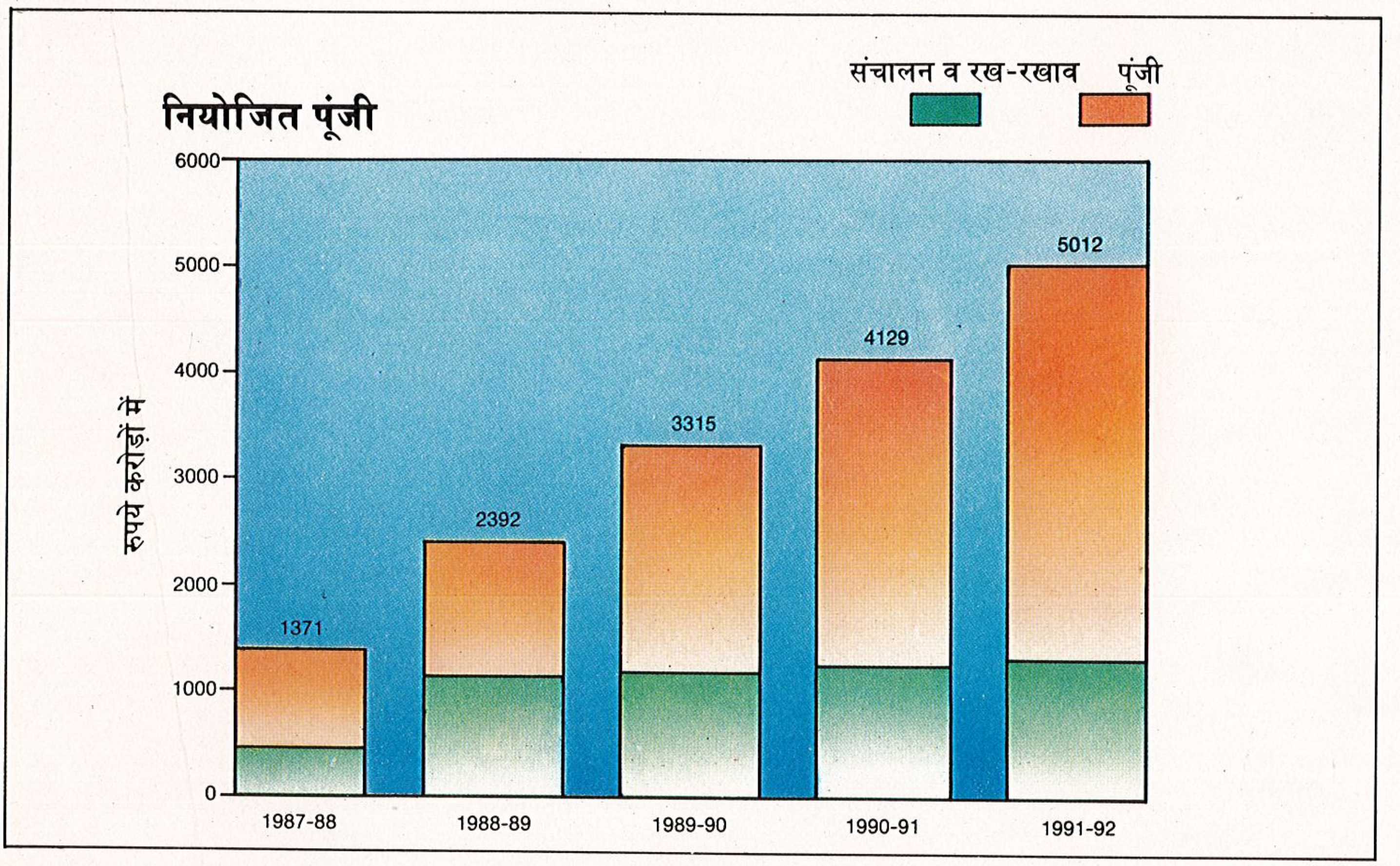

कर्मचारियों की यूनियन के साथ वेतन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कारपोरेशन ने अतिरिक्त जनशक्ति में कमी लाने के लिए सरकार को एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का प्रस्ताव भी भेजा है।

हम माननीय श्री कल्पनाथ राय, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कारपोरेशन की गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाने के लिए आभारी हैं। उनके उड़ी, दुलहस्ती, चमेरा, लोकतक और सलाल जैसी परियोजनाओं के दौरों से हमारे कर्मचारियों को प्रेरणा मिली है। हम सचिव (विद्युत), और सरकार के अन्य अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारी कारपोरेशन से संबंधित कार्यों पर बहुत ध्यान दिया है।

मैं सभी तकनीकी व वैज्ञानिक संस्थाओं, विदेशी संघों, वित्तीय संस्थानों और विशेषकर केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का हमारी कारपोरेशन की गतिविधियों में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कारपोरेशन के सभी संवर्गों के कर्मचारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों की उपलब्धि हुई है। अंत में मैं निदेशक मंडल के सदस्यों का, उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं।

(जी.पी. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

28 दिसम्बर, 1992

बिक्री की तुलना में लागत वृद्धि

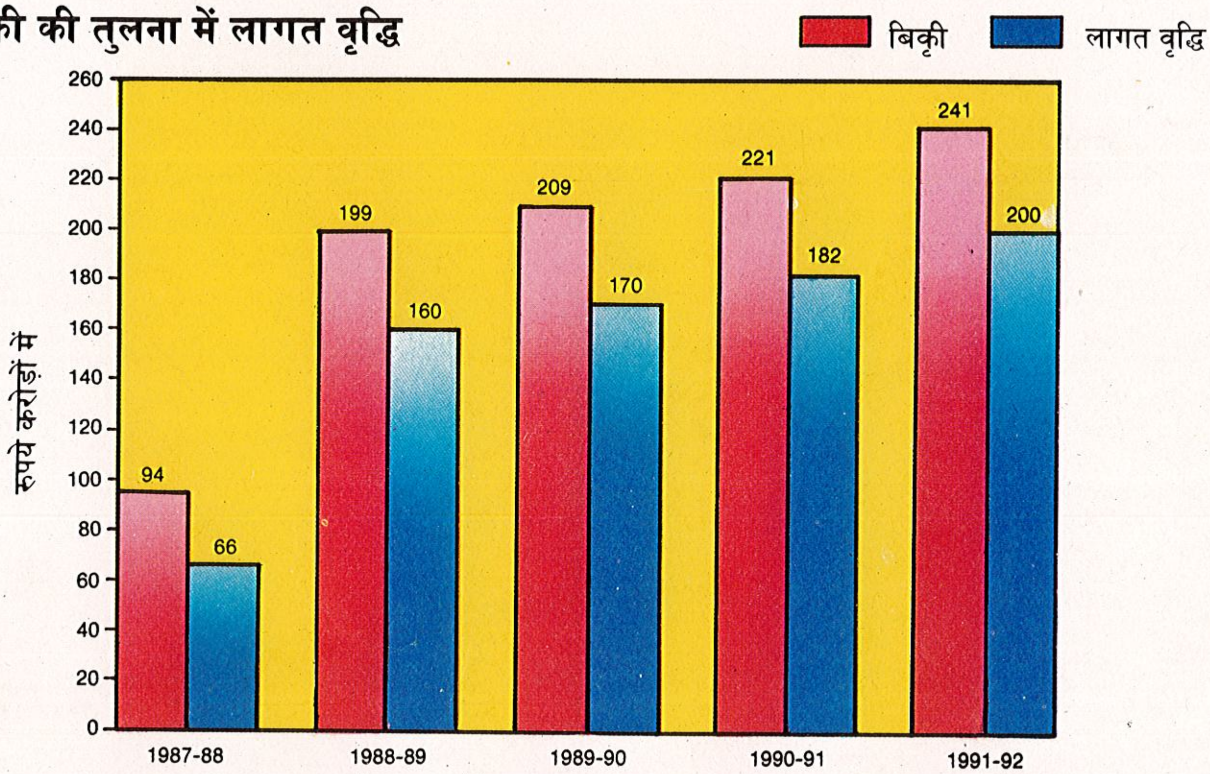

वर्ष 1991-92 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31.3.1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरणी सहित कम्पनी की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें:

01. कार्यरत पावर स्टेशन:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन की बैरा स्यूल, लोकतक तथा सलाल चरण-I के कार्यरत स्टेशनों में 3198 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विद्युत उत्पादन 3567.110 मि.यू. हुआ। इस प्रकार विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में 111.54% वास्तविक उपलब्धि हुई। इसमें कुल क्षमता उपयोगिता 110.23% थी।

(क) बैरा स्यूल पावर स्टेशन, हि.प्र.:
वर्ष के दौरान बैरा स्यूल पावर स्टेशन में 750 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 826.92 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ जिसमें उपलब्धि 110% और क्षमता उपयोगिता 110.26% रही।

वर्ष 1992-93 के दौरान अगस्त, 1992 तक इस पावर स्टेशन से 500 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 607.23 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ।

(ख) लोकतक पावर स्टेशन, मणिपुर:
लोकतक पावर स्टेशन में 410 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 544.210 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ जिसमें लक्ष्य की तुलना में 132.7% की उपलब्धि हुई। इसमें 448 मि.यू. की वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता पर आधारित क्षमता उपयोगिता 121.48% थी।

वर्ष 1992-93 के दौरान अगस्त, 1992 तक इस पावर स्टेशन में 166 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 144.41 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन हुआ था। विद्युत उत्पादन लोकतक झील में पानी की कमी से प्रभावित हुआ था।

(ग) सलाल (चरण-I) पावर स्टेशन, जम्मू व कश्मीर:
वर्ष 1991-92 के दौरान सलाल पावर स्टेशन में 2038 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 2195.980 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ था। वर्ष के दौरान लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 107.75% थी।

इस वर्ष के दौरान अगस्त, 1992 तक सलाल पावर स्टेशन में 1146 मि.यू. लक्ष्य की तुलना में 1176.47 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ था। परियोजना के लिए 651.49 करोड़ रुपए, 67.92 करोड़ रुपए निर्माण के दौरान ब्याज के मिलाकर, के संशोधित अनुमानों के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से अगस्त, 1991 में प्राप्त हुई थी।

इनटेक का दृश्य-लोकतक परियोजना

रख-रखाव कार्य प्रगति पर-बैरास्यूल परियोजना

(घ) चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम:
वर्ष 1991-92 के दौरान चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम से कुल 1396.02 मि.यू. बिजली लाभभोक्ताओं के लिए ली और दी गई थी। एन.एच.पी.सी. और भूटान सरकार के बीच 31 मार्च, 92 तक चुखा से बिजली देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा करार नैशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन (एन.पी.टी.सी.) के साथ भूटान सरकार के बीच चुखा बिजली के लिए किया गया जो 1.4.1992 से लागू हुआ।

02. निर्माणाधीन परियोजनाएं:

1. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (3×180 मे.वा.) (हि.प्र.):
इस परियोजना के विभिन्न हिस्सों पर प्रगति नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष के दौरान कंक्रीट बांध में सभी ब्लाक शीर्ष तक बढ़ाए गए और डेक ब्रिज पूरा हो चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत तक लो लेवल स्लयूस गेटों, ब्लाक हैड गेटों, स्पिलवे गेटों का संस्थापन, उत्थापन और थर्ड स्टेज कंक्रीटिंग के कार्य प्रगति पर थे।

सुरंग के ध्वस्त भाग में कुल 380 रिबों में से 307 पुराने रिब बदले जा चुके हैं और रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्त में कार्य प्रगति पर था।

अगस्त, 1992 के अंत तक कंक्रीट बांध के सभी सिविल निर्माण पूरे कर लिए गए थे और सभी स्पिलवे गेटों व स्लयूस गेटों का उत्थापन कर लिया गया है। इनमें से दो स्पिलवे गेटों के परीक्षण भी कर लिए गए थे। 2414 मी. की टेलरेस सुरंग, 200 मी. की इनवर्ट लाइनिंग को छोड़कर, पूरी कर ली गई है। पावर हाउस की कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई है और यूनिट-3 का उत्थापन भी पूरा कर लिया गया है। यूनिट-1 तथा 2 का कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है।

पावर सुरंग में मई, 1992 में आई फेस-4 कैविटी को ठीक कर लिया गया था और जून में आई दूसरी कैविटी का कार्य शुरू कर दिया गया था। इस प्रकार ठीक करने का कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर था।

फेस-3बी पर बैंचिंग कार्य शुरू कर दिया था और इसमें 73 मी. की ओवर्ट लाइनिंग कर ली गई थी। अभूतपूर्व वर्षा के कारण भूमि खिसकने से निर्माण कार्य की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। अन्य खिसकाओं से बचने के लिए भराव योग्य पहुंचों में स्पोर्टिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

इस परियोजना के संशोधित अनुमान मार्च, 1992 के मूल्य स्तर पर 2094.09 करोड़ रुपए तक अद्यतन किए गए थे, जिनकी मंजूरी पी.आई.बी. ने अपनी 27.8.1992 को हुई बैठक में दी है।

(2) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3×130 मे.वा.), जम्मू व कश्मीर:
इस परियोजना के अधिकांश सभी बड़े स्ट्रक्चरों के डिजाइन अंतिम रूप दे कर स्थिर कर लिए गए हैं और इनके विस्तृत ड्राइंग इस वर्ष के अंत में जारी किए जा रहे थे।

इंटेक टावर में 10847 क्यूम. कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई थी और सिल्ट वाहक सुरंग की 1073 मी. तक की खुदाई भी हो चुकी थी। हैडरेस सुरंग पर अपस्ट्रीम की ओर से 1180 मी. तक की खुदाई टनल बोरिंग मशीन से कर ली गई थी और डाउन स्ट्रीम की तरफ 581 मी. की खुदाई पारंपरिक तरीके से की गई थी। टेलरेस सुरंग की खुदाई भी पूरी ही होने वाली थी।

मार्च, 92 के अंत तक ट्रांसफार्मर गुफा में 9143 क्यूम. तक और पावर हाउस गुफा में 20626 क्यूम. तक खुदाई पूरी कर ली गई थी। ड्रेनेज गैलरी से हैडरेस सुरंग को 113 मी. तक और बांध कंक्रीटिंग को 6859 मी. तक की खुदाई पूरी कर ली गई थी।

हैडरेस सुरंग की खुदाई अपस्ट्रीम से 1200 मी. तक और डाउनस्ट्रीम से 889 मी. तक कर ली गई थी। फिर भी, सुरंग में अचानक पानी आ जाने के कारण हैडरेस सुरंग के अपस्ट्रीम से खुदाई 25 मई, 1992 से स्थगित कर दी गई थी अतः पानी की निकासी शुरू की गई थी। इसके लिए सफाई के उपाय शुरू किए गए थे और समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

जुलाई, 1992 के अंत तक हैडरेस सुरंग के ढांचे पर निर्माण कार्य पावर हाउस गुफा और ट्रांसफार्मर गुफा की खुदाई प्रगति पर तथा संतोषजनक थी और ड्रेनेज सुरंग का कार्य पूरा कर लिया गया था।

फिर भी, अगस्त, 1992 के मध्य से अब तक परियोजना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई थी और सुरक्षा की कमी तथा क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के कारण स्थल पर ठेकेदारों ने कार्य स्थगित कर दिया था।

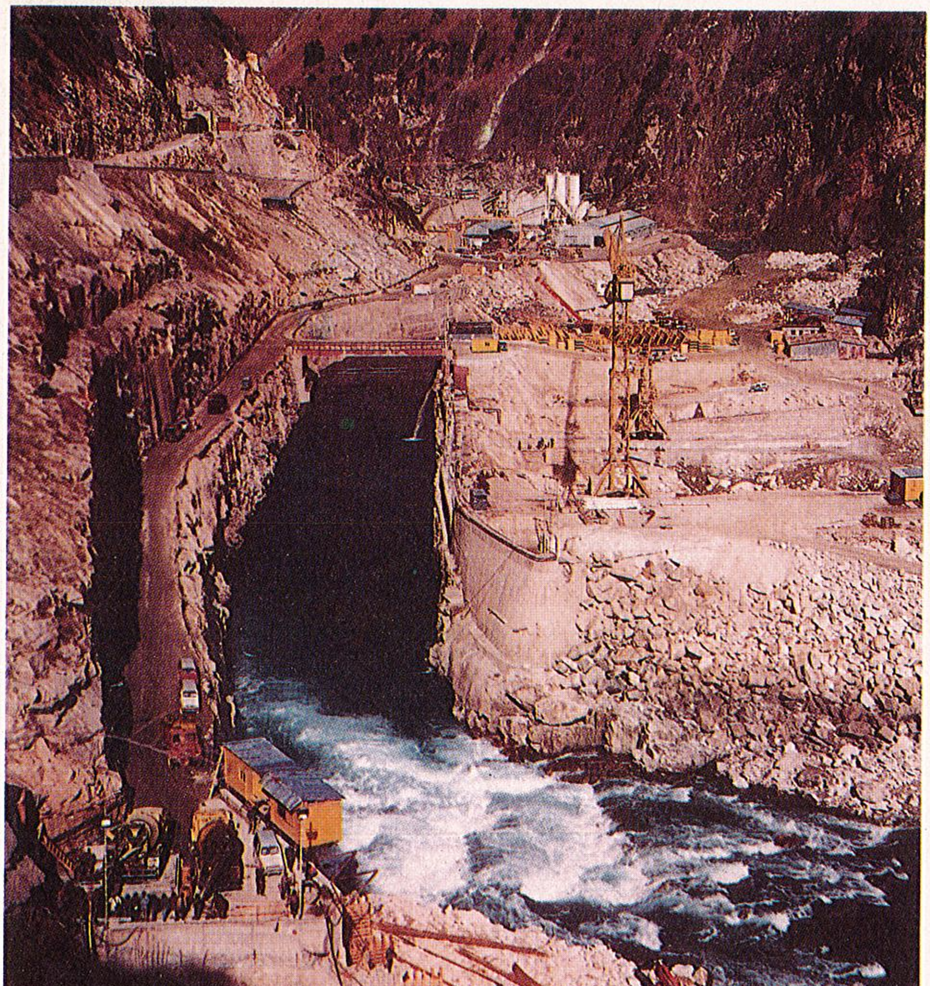

निर्माणाधीन बाँध का दृश्य-दुलहस्ती परियोजना

(3) टनकपुर जल विद्युत परियोजना (3 ×40 मे.वा.), उत्तर प्रदेश:

आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस परियोजना की सभी तीनों यूनिटें बन चुकी हैं और यूनिट-1 31.3.92 को सिंक्रोनाइज़ हो गई थी जबकि शेष दो यूनिटों का सिंक्रोनाइज़िंग अप्रैल, 1992 के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया गया था। फिर भी, पावर चैनल में मामूली रिसाव के कारण मरम्मत कार्य विशेषज्ञ समिति की सलाह से किए जाने थे।

मरम्मत कार्यों के पूरा होने के बाद वाटर कंडक्टर सिस्टम की भराई जून, 1992 के अंत में शुरू की गई थी और चैनल के भर जाने के बाद मशीनें सिंक्रोनाइज़ की गई थीं। अगस्त, 92 के दौरान 12.84 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था।

संशोधित परियोजना अनुमानों पर विचार किया गया और लोक निवेश बोर्ड द्वारा उसकी 4.7.1991 को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। परियोजना के संशोधित लागत के लिए आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(4) उड़ी जल विद्युत परियोजना (4×120 मे.वा.), जम्मू व कश्मीर:

अप्रैल, 1991 में दो स्वीडिश विशेषज्ञों के अपहरण की घटना के बाद से ठेकेदारों ने उड़ी परियोजना की सभी गतिविधियां रोक दी थीं। फिर भी, ठेकेदारों ने दिसंबर, 1991 में कुछ संरचनात्मक कार्यकलाप शुरू किए और कुछ मुख्य हिस्सों पर खुदाई कार्य शुरू किया। विस्फोटकों के परिवहन और भण्डारण के लिए सुरक्षा संबंधी मामले के लिए कुछ किया गया और पावर सुरंग को जाने वाली मुख्य सुरंग पर भूतलीय कार्य की खुदाई के लिए कुछ मुख्य रास्ता बनाया गया था।

हाइड्रो-मैकेनिकल और विद्युत उत्पादन उपस्कर के डिजाइन, निर्माण तथा आपूर्ति के कार्य प्रगति पर थे। परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए

जरूरी अधिकांश भूमि ठेकेदारों को सौंप दी गई है। विभिन्न ढांचों की आयोजना, डिजाइनिंग के कार्य प्रगति पर थे। अन्वेषण कार्य और हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन पूरे कर लिए गए थे। अतः संरचनात्मक विकास कार्यों के साथ-साथ स्थाई ढांचों से संबंधित सिविल निर्माण कार्य भी जुलाई, 1992 के अंत तक प्रगति पर थे। हाइड्रो-मैकेनिकल उपस्कर की शिपिंग आरंभ हो चुकी थी।

ठेकेदारों द्वारा थोड़े समय के लिए कार्य रोकेजाने के बाद अगस्त, 1992 के अंत में शुरू हो गया था। बैराज, कट और कवर कलवर्ट, डिसिल्टिंग बेसिन, सरप्लस इस्केप और हैडरेस सुरंग क्षेत्रों में खुदाई शुरू कर दी गई थी।

(5) सलाल जल-विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×115 मे.वा.), जम्मू व कश्मीर:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान टेलरेस सुरंग-II के शेष

निर्माणाधीन हैडरेस टनल का दृश्य-रंगित परियोजना

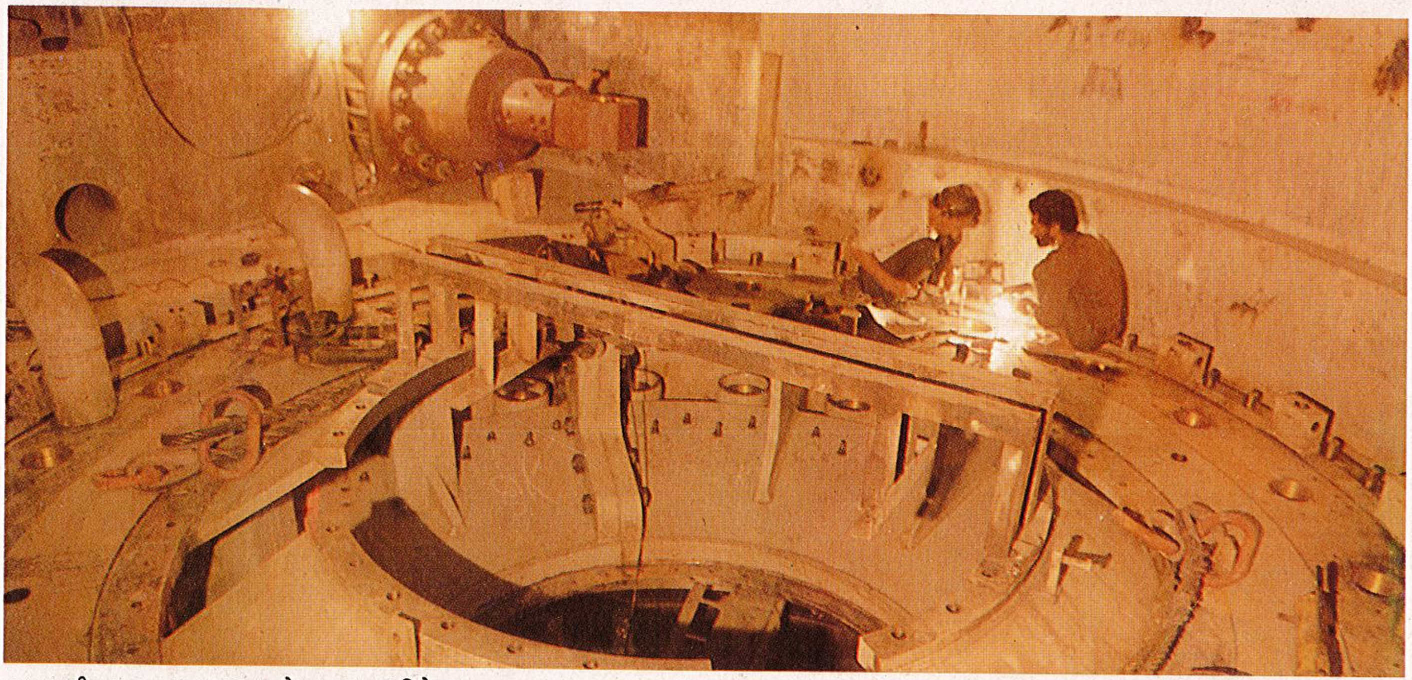

उत्थापनाधीन टरबाइन का दृश्य-चमेरा चरण-I परियोजना

संयोजक कार्य पूरे कर लिए गए थे और इनलेट साइड पर हैडिंग की खुदाई शुरू कर दी गई थी। अपस्ट्रीम की ओर 202.5 मी. हैडिंग और डाउनस्ट्रीम की ओर 165.5 मी. की खुदाई पूरी की गई थी। टेलरेस सुरंग-II के आउटलेट छोर से 606 मी. हैडिंग पूरी कर ली गई थी। अगस्त, 1992 के अंत में पावर हाउस में 43674 क्यूम. कंक्रीट डाली गई थी। यूनिट-5 की स्पीड रिंग भी नीचे की गई थी और स्पाइरेल केसिंग की संस्थापना प्रगति पर थी। टेलरेस सुरंग-II के इनलेट छोर से अपस्ट्रीम की ओर 315 मी. और डाउनस्ट्रीम की ओर से 262 मी. हैडिंग अगस्त, 1992 तक पूरी कर ली गई थी। टेलरेस सुरंग-II के आउटलेट छोर से 736 मी. की कुल लंबाई तक हैडिंग खुदाई पूरी कर ली गई थी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सितम्बर, 92 में बाढ़ के कारण सलाल परियोजना के प्लंज पूल में नुकसान हुआ और पानी पावर हाउस में भर गया था। इस नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

(6) रंगित जल विद्युत परियोजना (3×20 मे.वा.), सिक्किम:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अस्थाई आवासीय यूनिटों और अस्थाई भवनों के निर्माण जैसे कुछ संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। स्थाई आवासीय हाउसिंग की 120 यूनिटों का कार्य प्रगति पर था। डाइवर्शन सुरंग का 358.8 मी. का काम पूरा कर लिया गया है। हैडरेस सुरंग के अपस्ट्रीम से एडिट की खुदाई भी 53 मी. पूरी कर ली गई है। सर्जशाफ्ट की पाइलट खुदाई पूरी कर ली गई है। इंटेक सुरंग के लिए पोर्टलों और सिल्ट निकासी सुरंग की खुदाई भी पूरी कर ली गई थी। डाउनस्ट्रीम से हैडरेस सुरंग की 15 मी. की बोरिंग भी पूरी कर ली गई थी। वर्षा के दौरान बांध स्थल की बह गई सड़क तैयार कर ली गई थी और इंटेक तथा एडिट-1 तक नई सड़क का कार्य निर्माणाधीन है। बांध की बाईं स्ट्रीपिंग और दाएं एबटमेंट 19000 मी.^{3} तक पूरे कर लिए गए थे। बांध नींव में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नदी डाइवर्शन नवम्बर, 92 तक हो जाने की आशा है। पावर हाउस की 17000 मी.^{3} तक की खुदाई जुलाई, 1992 के अंत तक पूरी हो गई है।

आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने परियोजना की अनुमति पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को पर्यावरण संबंधी योजना पेश करने की शर्त पर दी थी। ये योजनाएं मार्च, 1991 में प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

03. नई योजनाएं:

(1) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मे.वा.), बिहार:

आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के निष्पादन की अनुमति 14.11.91 को दी थी और इसके लिए 1338.80 करोड़ रुपए जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 202.37 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, की राशि मार्च, 1991 के मूल्य स्तर पर रखी गई थी।

स्थानीय जनता के विरोध और फण्ड उपलब्ध न होने के कारण इसका कार्य शुरू नहीं किया जा

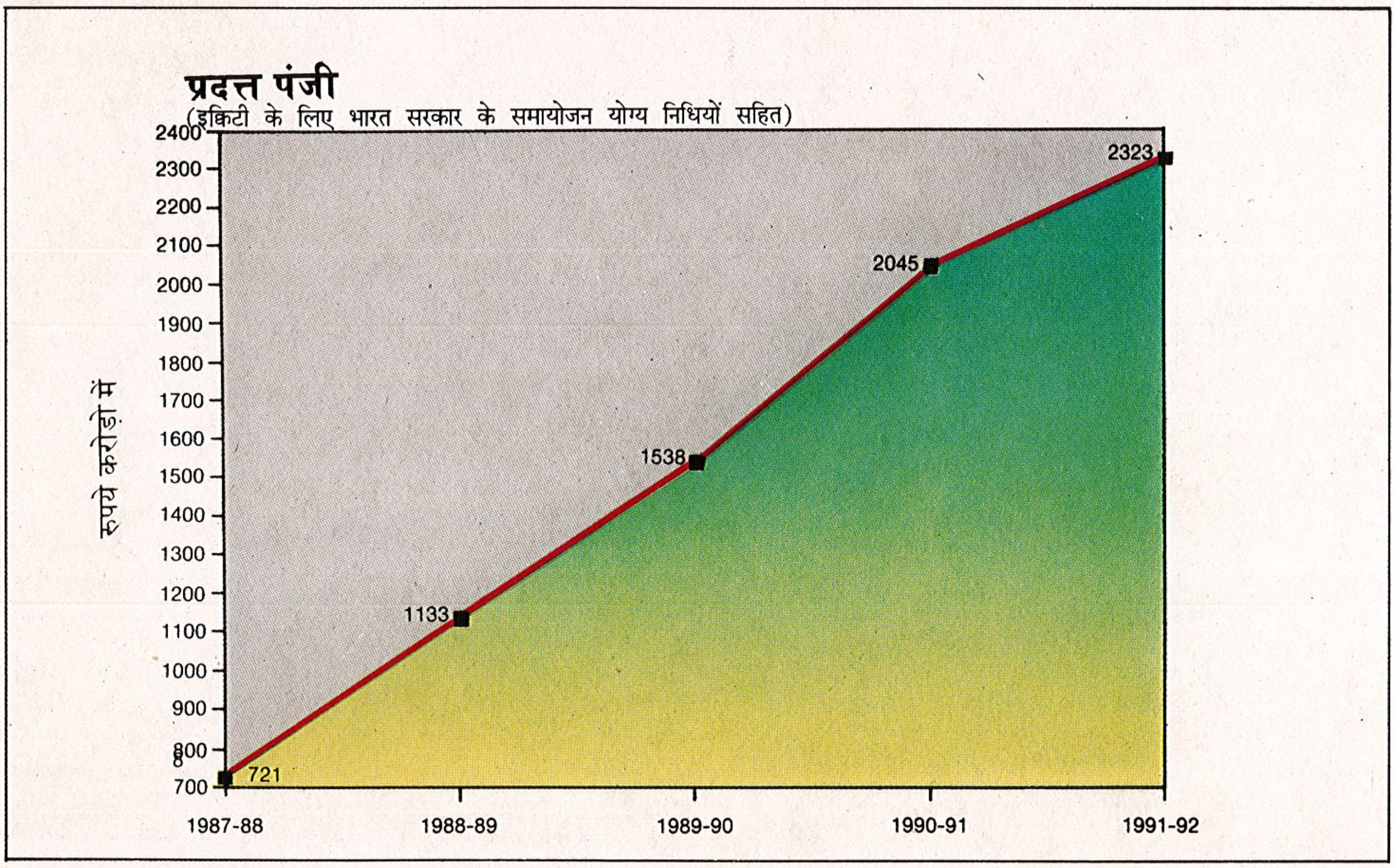

सका था। इस परियोजना के लिए फण्ड के आबंटन के लिए कारपोरेशन ने योजना आयोग और विद्युत विभाग से कहा है और 1992-93 के दौरान 13.75 करोड़ रुपए तक फण्ड देने के लिए अनुरोध किया है।

(2) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×100 मे.वा.) हिमाचल प्रदेश :

हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल-विद्युत परियोजना (चरण-II) की मंजूरी लोक निवेश बोर्ड ने अप्रैल, 1992 में दी थी, जिसकी अनुमानित राशि 1393.19 करोड़ रुपए, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 178.65 करोड़ रुपए, भी शामिल हैं, थी बशर्ते कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से इसके लिए तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त हो जाए और यह मंजूरी मई, 1992 में प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावों पर अब आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(3) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (4×70 मे.वा.) (चरण-I), उत्तर प्रदेश :

इस परियोजना को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने अनुमोदित कर दिया है और विद्युत उत्पादन हिस्से के लिए अनुमोदन 517.46 करोड़ रुपए जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 84.53 करोड़ रुपए की लागत पर अप्रैल, 1991 में प्राप्त हुआ था। फिर भी फण्ड उपलब्ध न होने पर भूमि अधिग्रहण और अन्य निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जा सके हैं।

(4) बगलिहार जल विद्युत परियोजना (3×150 मे.वा.), जम्मू तथा कश्मीर :

इस परियोजना के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय से पर्यावरण तथा वन मंजूरी क्रमशः अप्रैल तथा मई, 89 में प्राप्त हुई थी। संशोधित अनुमानों पर तकनीकी-आर्थिक मंजूरी अप्रैल, 1991 में मिली थी। लोक निवेश बोर्ड के लिए ज्ञापन विद्युत विभाग को मई, 1992 में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव विभिन्न जांच एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के भाग के लिए धन उपलब्ध कराने की इच्छा जाहिर की है और कहा है कि परियोजना के मूल्यांकन तथा इंजीनियरिंग के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श संघ नियुक्त किया जाए। विश्व बैंक की जरूरत के अनुसार परामर्श पर कार्य की सुपुर्दगी के लिए मई, 1992 में विभिन्न फर्मों का एक प्रि-बिड सम्मेलन किया गया था। जुलाई, 1992 के तीसरे सप्ताह में खोली गई तकनीकी बिड्स मूल्यांकन के अधीन थी। दिनांक 27.08.92 को हुई एक बैठक में लोक निवेश बोर्ड ने यह तय किया था कि 8वीं योजना के दौरान योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की सहमति से फण्ड उपलब्ध हो जाने पर मामला लोक निवेश बोर्ड को अगले किसी संदर्भ के लिए भेजे बिना आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति के अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

बैराज का दृश्य-टनकपुर परियोजना

(5) सावलकोट जल विद्युत परियोजना (3×200 मे.वा.), जम्मू तथा कश्मीर:

इस परियोजना के लिए पर्यावरण तथा वन मंजूरी मई, 89 में प्राप्त हो गई थी। इस परियोजना के लिए सिन्धु जल संधि की दृष्टि से भी मंजूरी प्राप्त हो गई है और पूर्व पीआईबी की जून, 91 में हुई बैठक में अनुमानों को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया था। ये अद्यतन अनुमान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जनवरी, 92 में भेजे गए थे।

04. अन्वेषण परियोजनाएं:

(1) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (मध्य चरण) (200 मे.वा.), उत्तर प्रदेश:

इसके अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए थे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अगस्त, 90 में पेश कर दी गई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है और इस प्राधिकरण ने यह भी सुझाव दिया था कि धौलीगंगा के चरण-IV और V के चरणों को छोड़ने के बाद शेष सम्भाव्यता का अधिक से अधिक दोहन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह भी चाहा था कि एन.एच.पी.सी. द्वारा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की टिप्पणी और सभी चरणों की पूर्व पर्यावरणात्मक मंजूरी को दिखाने वाले प्रस्तावों सहित एक समेकित रिपोर्ट भेजी जाए। ये अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिए गए हैं।

(2) गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-I तथा-II), उत्तर प्रदेश:

इसके अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए थे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अक्तूबर, 1990 में पेश कर दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि इस परियोजना की आयोजना प्रक्रिया को तब तक अलग रखा जाए जब तक कि अक्तूबर, 1992 तक पूरी होने वाली पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती है।

(3) गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-III ए और III बी, उत्तर प्रदेश:

इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन और मंजूरी के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 25.3.92 को पेश कर दी गई है।

(4) किशनगंगा जल विद्युत परियोजना — जम्मू तथा कश्मीर:

इस परियोजना के अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए थे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मई, 1991 में पेश कर दी गई थी जो उनके विचाराधीन है। सुरक्षा की दृष्टि से भी मंजूरी कुछ निर्देश को देख लेने की शर्त पर प्राप्त हो गई थी। परियोजना प्रस्तावों पर तकनीकी आर्थिक मंजूरी के लिए की जा रही प्रक्रिया के दौरान ही जम्मू व कश्मीर सरकार ने अनुरोध किया कि यह परियोजना राज्य क्षेत्र में निष्पादन के लिए उन्हें वापस कर दी जाए और इस पर भारत सरकार ने विचार किया।

(5) तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण-III) (6×200 मे.वा.), सिक्किम:

पूर्व पी.आई.बी. अन्तर मंत्रालीय समूह की एक बैठक अगस्त, 1991 में हुई थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त कर लेने के बाद इस परियोजना को मंजूरी के लिए लोक निवेश बोर्ड द्वारा देखा जाएगा। इस प्रकार की अधिसूचना समाचार पत्रों तथा राज्य सरकार के गजट में पहले ही विद्युत (आपूर्ति) के खण्ड 29 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई है। सिक्किम सरकार द्वारा सितम्बर, 1991 में वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर्यावरण व वन मंत्रालय को भेजा जा चुका है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर सिक्किम सरकार ने भेज दिया है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नीरी, नागपुर द्वारा किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 1991 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अद्यतन लागत अनुमानों वाला पी.आई.बी. ज्ञापन का मसौदा मंत्रालय को जुलाई, 1992 के अन्त में पेश कर दिया गया था। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस कारपोरेशन ने परियोजना के निष्पादन में भागीदारी के लिए उचित निजी कम्पनियों के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। इन प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

05. ट्रांसमिशन सिस्टम:

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में जैसा कि उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कारपोरेशन ट्रांसमिशन लाइनें एन.पी.टी.सी. को हस्तांतरित की जा रही हैं। हस्तांतरण की अस्पष्ट विधि के कारण ये ट्रांसमिशन लाइनें प्रबंधन आधार पर 19.11.1991 से एन.पी.टी.सी. को सौंप दी गई थीं। इस अस्पष्ट विधि हस्तांतरण के लिए अब इन लाइनों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसी दौरान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अस्पष्ट विधि हस्तांतरण की प्रभावी तारीख 1.4.1992 के लिए एन.पी.टी.सी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है।

इन ट्रांसमिशन लाइनों जिनका प्रबंधन आपकी कारपोरेशन की ओर से नैशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन (एन.पी.टी.सी.) द्वारा किया जा रहा है, की इस दौरान की प्रगति नीचे दिए अनुसार है:

(1) 400 के.वी. डबल सरकिट चमेरा-मोगा ट्रांसमिशन लाइन (472 स. किमी.)

इस लाइन की 500 मीटर स्ट्रींगिंग को छोड़कर लाइन का निर्माण दिसम्बर, 1991 में पूरा हो गया था। शेष कार्य मार्च, 1992 में पूरा किया गया था, 236 कि.मी. की लाइन में से 200 किमी. की 220 के.वी. वोल्टता स्तर पर मोगा छोर पर बैक-चार्जेज कर लिया गया है।

(2) 400 के.वी दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टम-400 के.वी. दुलहस्ती-किशनपुर-श्रीनगर ट्रांसमिशन सिस्टम:

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इस ट्रांसिमशन सिस्टम के निष्पादन के लिए सोवियत के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। दुलहस्ती परियोजना से दुलहस्ती बिजली की निकासी के लिए एक कंटीजैंसी प्लान बनाया गया है जब कि यह परियोजना किश्तवाड़ में 400/220 के.वी. सब-स्टेशन और किश्तवाड़ से किशनपुर 220 के.वी. डबल सरकिट लाइन पूरी कर लेगी। विभिन्न प्री एवार्ड कार्य-कलाप शुरू हो गए हैं।

(3) 400 के.वी./220 के.वी. मोगा सब-स्टेशन-2×250 एमवीए:

सब-स्टेशन के मुख्य सिविल निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और ट्रांसफार्मरों तथा उपस्कर उत्थापन कार्य प्रगति पर था। इस सब-स्टेशन के चमेरा परियोजना के चालू होने के साथ-साथ तैयार होने की आशा है।

राजस्व का वितरण

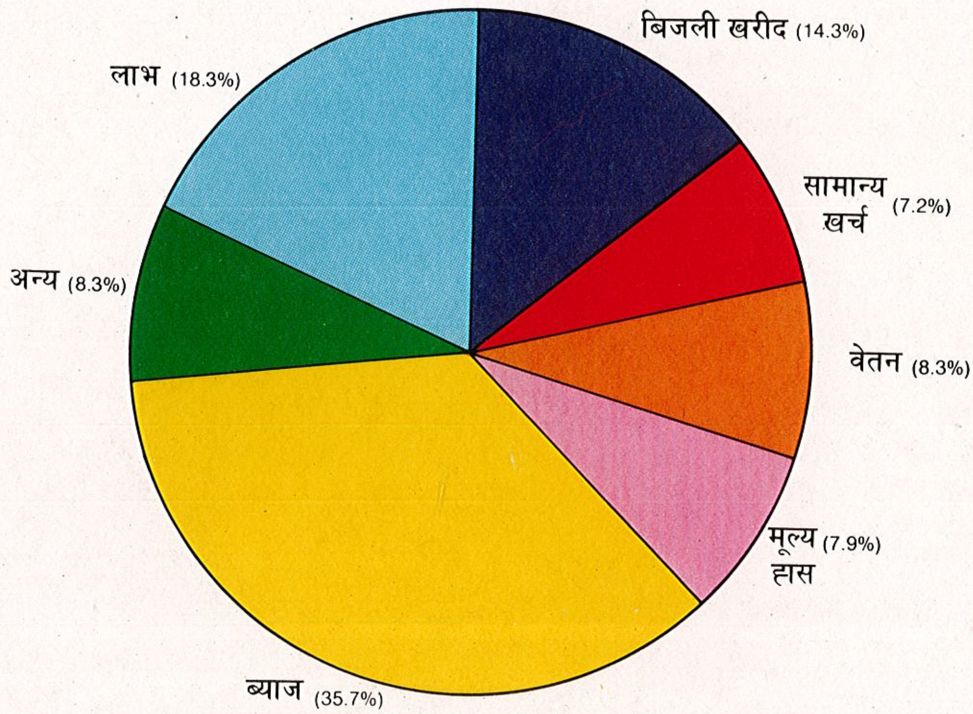

(4) 400 के.वी. मोगा-हिसार ट्रांसमिशन लाइन (418 सरकिट किमी.):
सभी नीवों और टावर उत्थापन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। लाइन की तार खिंचाई शुरू कर दी गई थी और कुल 418 सरकिट किमी. में से 250 सरकिट किमी. पूरी कर ली गई थी।

(5) 2×एस./सी. 400 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन-हिसार से भिवानी (70 सरकिट किमी.)
कुल 185 अवस्थितियों में से सभी नीवें पूरी कर ली गई हैं और 175 नग टावर का उत्थापन और खिंचाई कार्यकलाप प्रगति पर है और दिसम्बर, 1992 तक पूरा होने की आशा है।

(6) 220 के.वी. टनकपुर-बरेली ट्रांसमिशन लाइन (212 सरकिट किमी.):
यह ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर ली गई है और बरेली छोर से दोनों सरकिट चार्ज कर दिए गए हैं।

(7) 132 के.वी. बोंगईगाँव-गेलफुग ट्रांसमिशन लाइन (50 सरकिट किमी.):
इस ट्रांसमिशन लाइन पर सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस सिस्टम में निष्पादन विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया था।

06. नई ट्रांसमिशन लाइनें:

(1) नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन सिस्टम (2068 सरकिट किमी.)
इस लाइन के कुछ हिस्से के टावर पैकेज के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं।

(2) उड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम (200 सरकिट किमी.)
इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम के सितम्बर, 1996 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) 220 के वी सलाल (चरण-II) ट्रांसमिशन सिस्टम (350 सरकिट किमी.)
इसके विस्तृत सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। कुल 533 अवस्थितियों में से 72 नग की नीवें पूरी कर ली गई हैं। सलाल चरण-II की बिजली निकासी के लिए यह ट्रांसमिशन लाइन सितम्बर, 1993 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

(4) 400 के.वी. चमेरा (चरण-II) ट्रांसमिशन सिस्टम:
400 के.वी. सिंगल सरकिट चमेरा-I किशनपुर ट्रांसमिशन लाइन चमेरा (चरण-II) से सम्बद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम का एक भाग है। इस लाइन को पूरा करने का कार्य दुलहस्ती परियोजना के पूरा होने तक स्थगित किया जा रहा है।

(5) 800 के.वी. (580 सरकिट किलोमीटर) 2×एस/सी किशनपुर-मोगा ट्रांसमिशन लाइन
इस लाइन के लिए पी आई बी द्वारा मई, 92 में मंजूरी दी गई थी। इस सिस्टम के प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शी कार्य भी सौंप दिए गए हैं। इस लाइन के सितम्बर, 1998 तक पूरा होने की आशा है।

(6) जालंधर-लुधियाना-दसूया ट्रांसमिशन सिस्टम):
इस सिस्टम में जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाना भी शामिल है। अद्यतन लागत अनुमान और पीआईबी नोट विद्युत विभाग को फरवरी, 1992 में पेश कर दिया गया था।

07. टैक्नोलॉजी समावेशन, अनुकूलन और अनुसंधान:

दुलहस्ती और उड़ी परियोजनाओं के लिए टर्नकी करारों में दी गई टैक्नोलॉजी हस्तांतरण व्यवस्था के अन्तर्गत कारपोरेशन के अधिकारियों ने थियोरटिकल हाइड्रोलिक के निरीक्षण और हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययनों, डिजाइन तथा इंजीनियरिंग, निर्माण तथा हाइड्रोमैकेनिकल तथा पावर संयंत्र उपस्करों की जांच के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। भारतीय मानक संस्थान से सक्रिय अन्तर कार्यवाही और सम्पर्क बनाए रखा गया था जो जल-विद्युत परियोजनाओं के विभिन्न स्ट्रक्चरों/एलीमेंट्स के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बनाने और संशोधित करने वाली विभिन्न टैक्नोलॉजीकल समितियों के अन्तः हिस्सेदारी और द्विलीब्रेशन से सम्बद्ध थी।

08. ऊर्जा संरक्षण:

कारपोरेशन में गठित की गई ऊर्जा संरक्षण समिति की वर्ष के दौरान बहुत सी बैठकें हुई और ऊर्जा संरक्षण के लिए कारपोरेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।

09. सतर्कता गतिविधियां:

पिछले वर्षों की तरह रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भी कारपोरेशन सतर्कता गतिविधियों के महत्व पर ध्यान देता रहा है। वर्ष के दौरान प्राप्त 40 शिकायतों में से 13 शिकायतों पर जांच की गई तथा 15 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी की गई तथा उचित दण्ड भी दिये गये। कारपोरेशन की परियोजनाओं में से एक परियोजना के विस्फोटक मैगजीन का सतर्कता अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया तथा उसमें कमी तथा अनियमितताएं और स्टॉक में पायी गई कमी को प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया। ताकि उस पर तुरन्त उचित कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधितों को एम.बी. को उचित तरीके से भरने के निर्देश दिये गये और उसका महत्व भी बताया गया।

10. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन विकास को महत्व देते हुए कारपोरेशन ने इस दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। कई इन-हाउस कार्यक्रम तथा कई प्रायोजित कार्यक्रम कर्मचारियों के लाभ के लिए विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रबंध भी किया गया। जिनमें (1) जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम तथा (2) रिटायरमेंट के लिए योजनाएं (3) कंप्यूटर जागरुकता कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष के दौरान कुल 4433 मानव दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

11. वित्तीय कार्यक्रम:

कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के 52.76 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में इस वर्ष 49.30. करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। पिछले वर्ष के 223.95 करोड़ रुपये के लेन देन की तुलना में वर्ष के दौरान 243.94 करोड़ रुपये का लेन देन किया गया।

12. लाभ-भोक्ताओं के पास बकाया देयताएं:

दिनांक 31.3.92 तक विभिन्न लाभ-भोक्ताओं के पास कारपोरेशन द्वारा दी गई बिजली के 197.39 करोड़ रुपये शेष हैं।

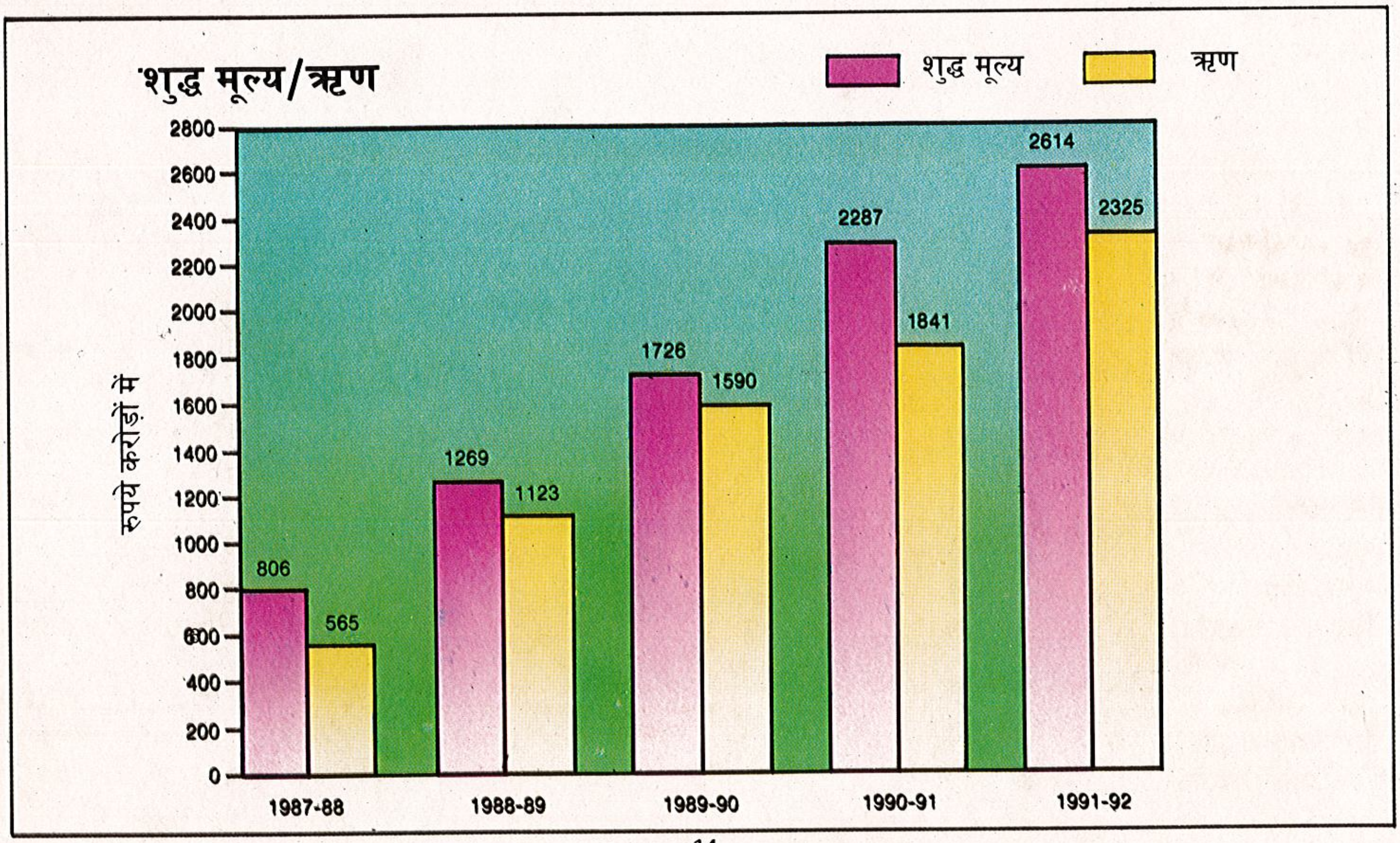

निर्माणाधीन टेलरेस टनल का दृश्य-सलाल चरण-II परियोजना

13. बॉण्ड्स :

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया है, कारपोरेशन को कैपीटल इश्यू नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में बॉण्डों की नई सिरीज जिसमें 250 करोड़ रुपए के 10 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड और 365 करोड़ रुपए के 7 वर्षीय कर योग्य बॉण्ड समाविष्ट होंगे, जारी करके, प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को इश्यू का कम से कम 20% काउंटर पर या विवरण पत्र द्वारा जनता को देने की शर्त पर 615 करोड़ रुपए एकत्र करने की अनुमति मिल गई थी। फिर भी पूंजी बाजार में वित्तीय संकट के कारण रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन केवल 197 करोड़ रुपए की सीमा तक धन एकत्र कर सकी है। वर्ष 1992-93 के लिए कारपोरेशन से बॉण्ड जारी करके 500 करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए कहा गया है।

14. प्राधिकृत पूंजी :

कारपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी 2500 करोड़ रुपए थी। प्रदत्त पूंजी दिनांक 31.3.92 को बढ़कर 1922,41,40,000 रुपए और अगस्त 1992 की समाप्ति तक पुनः बढ़कर 2080, 13,40,000 रुपए हो गई।

15. कार्मिक नीतियाँ व औद्योगिक संबंध :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध केवल मई 1991 में एक दिन के धरने व हड़ताल को छोड़कर सामान्यतः सौहार्दपूर्ण रहे। फिर भी उत्पादन और विद्युत पारेषण में कोई हानि नहीं हुई।

कारपोरेशन द्वारा कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्य जैसे परियोजनाओं में स्कूल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएँ, मनोरंजन, कार्यालय/परियोजनाओं में कैंटीन, भोजन/चाय प्रतिपूर्ति आदि सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास जारी रखे गए हैं।

16. राजभाषा :

पिछले वर्षों की तरह रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भी कारपोरेशन ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सभी प्रयास किए। राजभाषा नीति को ध्यान में रखकर हमारी परियोजनाओ/कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। कर्मचारियों के दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं में कार्यशालाएं/प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है।

17. निदेशकगण :

श्री एम.ए. हाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री घनश्याम दास, निदेशक (वित्त) तथा डा. एच.आर. शर्मा, सदस्य (जल विद्युत) तथा श्री एस.सी. सेन, निदेशक (तकनीक) क्रमशः दिनांक 31.10.92 (अपराह्न) 29.02.92, 30.4.92 तथा 30.9.92 तक एन.एच.पी.सी. के निदेशक मण्डल में शामिल रहे क्योंकि उपर्युक्त तारीखों को उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी हो गई है। श्री वी.के. खन्ना एन.एच.पी.सी. के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.7.92 तक शामिल रहे क्योंकि वे विद्युत विभाग में संयुक्त सचिव का पद भार ग्रहण कर रहे हैं। एन.एच.पी.सी. के निदेशक मण्डल में श्री एम.ए. हाई, की अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के तौर

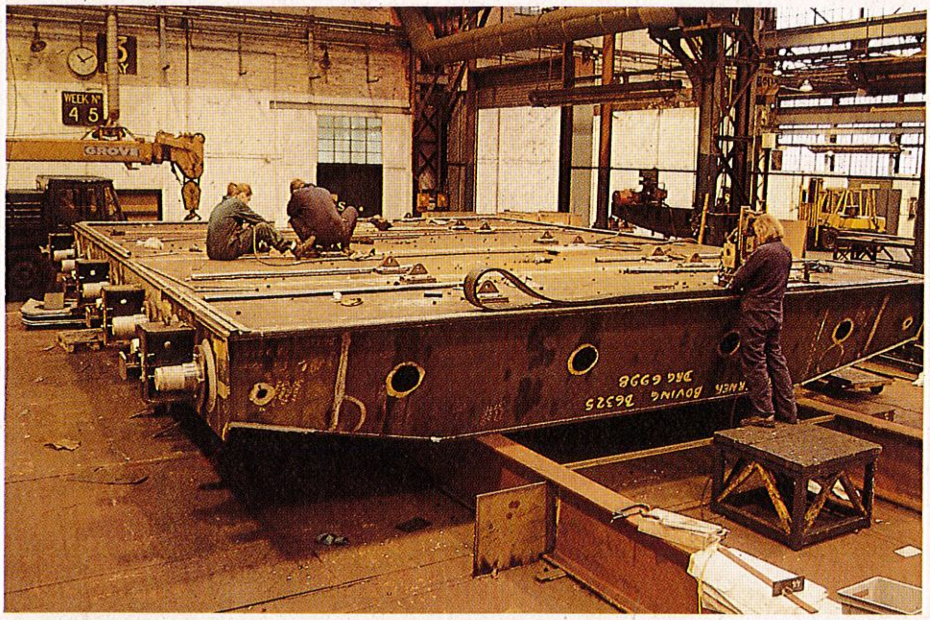

टनल इनूटेक गेट की शॉप ट्रायल संस्थापना—उड़ी जल विद्युत परियोजना

पर की गई उल्लेखनीय सेवाएं तथा श्री घनश्यामदास, डा. एच.आर. शर्मा, श्री एस.सी. सेन, तथा श्री वी.के. खन्ना की निदेशकों के तौर पर की गई सेवाएं हमेशा याद रहेंगी।

श्री एस.आर. नरसिम्हन, सदस्य (जल विद्युत), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा श्री अरुण भटनागर संयुक्त सचिव, विद्युत विभाग, को क्रमशः दिनांक 19.6.92 और 3.8.92 से एन.एच.पी.सी. के निदेशक मण्डल में शामिल किया गया है। श्री जी.पी. सिंह ने दिनांक 31.10.92 (अपराह्न) से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का वर्तमान कार्यभार भी संभाल लिया है। इस पद का कार्य उन्हें अपनी निदेशक (परियोजनाएं) के तौर पर की जा रही सेवाओं के अतिरिक्त सौंपा गया है।

18. लेखापरीक्षक:

वर्ष 1991-92 के लिए कारपोरेशन के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स सुमेर बंसल एंड

बांध का दृश्य-कोयलकारो परियोजना

कम्पनी, नई दिल्ली को कम्पनी का वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स एन. सरकार एण्ड कं., कलकत्ता को शाखा लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किया गया था और मैसर्स हिंगोरानी एम एण्ड कं. और मै. ज्ञान अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स, दिल्ली कम्पनी के संयुक्त शाखा लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किये गये थे।

(क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर टिप्पणियां:

लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत लेखों पर भारत के लेखा-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कमियों पर टिप्पणियाँ:

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के लेखा-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशकों की टिप्पणियां, इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में दी गई हैं।

31, मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों की भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

19. कर्मचारियों का विवरण:

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दी गई है।

20. आभार:

बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, सी.एस.एम.आर.एस., सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार प्रकट करता है। बोर्ड, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम तथा शाही भूटान सरकारों तथा पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा राज्य सरकारों और उन राज्य बिजली बोर्डों, जो अपने-अपने राज्यों में हमारे निर्माण कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, का भी आभारी है। यदि इन सभी ने तथा अन्य एजेंसियों ने सहायता, सहयोग और सहकारिता प्रदान न की होती, तो कारपोरेशन ने अब तक जो उपलब्धि पाई है वह उसके लिए संभव नहीं होती। निदेशक मण्डल, भारत के लेखा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षकों और बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल के लिए, की ओर से

(जी.पी. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली,
दिनांक: 24.12.92

हर घर के लिए प्रदूषण-रहित बिजली

ऊर्जा बचाओ.......ऊर्जा बढ़ाओ

अनुबंध-I

टिप्पणियां:

वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दी गई कमियों पर टिप्पणियां।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में पैरा,

2 (ii) कारपोरेशन से संबंध न रखने वाली परिसम्पत्तियों पर होने वाले खर्च का लेखा रखने के लिए कारपोरेशन उपर्युक्त नीति अपना रही है। यह मामला इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड एकाउन्टैंट्स की विशेष समिति के साथ पहले ही उठाया गया है ताकि इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके। उनकी राय हाल ही में प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

(xiii) हमारी राय में ये राशियां उचित हैं।

(xiv) इस मामले की जांच की जा रही है और समायोजन, यदि कोई हो, तो मामले में अन्तिम निर्णय लेते समय पारित किये जाएंगे।

(xv) लेखे की समीक्षा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की जाएगी और आवश्यक समायोजन पारित किये जाएंगे:

लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के अनुबंध में पैरा:

1. स्थितिजन्य ब्यौरे सामान्यतः आवश्यक सीमा तक दर्शाये गये हैं।
4. ऐसे पुर्नसमाधान/सत्यापन के पूरा होने पर आवश्यक समायोजन किये जाएंगे।
5. दुलहस्ती, उड़ी और चमेरा परियोजना में कनेडियन स्टोर्स के लिए मूल्य स्टोर लैजर से जनरल लैजर का समाधान अभी किया जा रहा है। वास्तविक सत्यापन के दौरान बड़ी कमियां नहीं देखी गई हैं।
10. कारपोरेशन के पास कोई कच्चा माल नहीं है। अप्रयोज्य/क्षतिग्रस्त भंडारों की समय-समय पर निपटान/समायोजन के लिए पहचान की जाती है।
13. आंतरिक लेखापरीक्षा का भी पुनर्गठन कर लिया गया है और इसे पुनः मजबूत किया जा रहा है।

अनुबंध-II

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों में दी गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियां

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का पैरा	**उत्तर**
पैरा 1.	ये संशोधित रनर्स जनरेटिंग संयंत्र तथा उपस्कर के ही भाग हैं और कारपोरेशन परिसम्पत्ति के मूल्य में से संयंत्र व मशीनरी के पुराने पुर्जों/उप वस्तुओं को अलग करके शेष लागत में समायोजन नहीं कर रही है। यह लेखा पद्धति सही समझी गई है और इसी का अनुपालन किया जा रहा है।
पैरा 2.	यह पाइलट सुरंग निकासी सुरंग के किस्म की थी और भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों पर आधारित थी, जो इस समय की परिस्थितियों में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार फिट नहीं होती है अतः भू-वैज्ञानिक अड़चनों के कारण इसे री-रूटेड किया गया है। इस पर आया खर्च परियोजना के पूंजीगत खर्च का ही भाग है और इसे लेखों में अलग से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है।
पैरा 3 व 4	ये अपेक्षित समायोजन वर्ष 1992-93 के दौरान किए जायेंगे।

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए लेखों की समीक्षा पर की गई टिप्पणियां:

परियोजनाओं के निर्माण में लगी शुद्ध स्थिर परिसम्पतियों को नियोजितपूंजी की गणना में शामिल किया गया है। हमारी राय में चालू पूंजीगत कार्य और निर्माण स्टोर तथा पेशगियों पर भी विचार किया जाए।

इसी प्रकार कार्यकारी पूंजी से कुल टर्नओवर और लाभ से इक्विटी पूंजी के अनुपात की गणना करते समय केवल कार्यकारी पूंजी और नियोजित इक्विटी को ही संचालित परियोजनाओं के लिए लिया जाए।

अनुबंध-III

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा।

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में कम्पनी की पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है।

(रुपये लाखों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
देयताएं:			
क. 1) प्रदत्त पूंजी	84876	161930	192241
2) इक्विटी पूंजी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकार की निधियां	68892	42603	40012
	153768	204533	232253
ख. आरक्षित तथा अधिशेष			
1) फ्री आरक्षित व अधिशेष	16490	23357	23357
2) सौंपा गया आरक्षित	2435	835	5765
ग. उधार:			
1) भारत सरकार से	57759	55922	56655
2) अन्यों से: विदेशी ऋण	21913	27467	55520
बॉण्ड्स	79297	100749	120346
घ. चालू देयताएं और प्रावधान	29794	39514	41638
कुल	361456	452377	535534
परिसम्पत्तियां:			
च. सकल ब्लॉक	128605	144232	148323
छ. घटाएं: संचयी मूल्यह्रास	17508	20792	25174
ज. शुद्ध ब्लॉक	111097	123440	123149
झ. चालू पूंजीगत कार्य	125654	184833	269929
ट. निर्माण भंडार व पेशगियाँ	55754	73103	92703
ठ. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियाँ	68809	70997	49753
ड. पूंजीकृत खर्च (बट्टे खाते न डाला गया)	142	4	—
कुल	361456	452377	535534
नियोजित पूँजी (ज+ठ-घ)	150112	154923	131264
शुद्ध मूल्य (क+ख) (I)-ड)	170116	227886	255610
प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए शुद्ध मूल्य	1.11	1.11	1.10

2. पूंजी संरचना

भारत सरकार द्वारा इक्विटी में वृद्धि के कारण 1989-90 में ऋण इक्विटी 0.93:1 और 1990-91 में 0.81:1 था। विदेशी ऋणों में वृद्धि, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, रुपए के अवमूल्यन और बॉण्ड जारी करके धन एकत्र करने के कारण 1991-92 में अनुपात पुनः बढ़कर 0.91:1 हो गया।

3. नकदी व ऋणशोध क्षमता:

(क) कुल शुद्ध परिसम्पत्तियों में चालू परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता 1989-90 में 19.04 से घटकर 1990-91 में 15.69 और 1991-92 में फिर घटकर 9.29 प्रतिशत हो गई।

(ख) चालू देयताओं (प्रावधानों सहित) में चालू परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता 1989-90 में 230.95 से घटकर 1990-91 में 179.68 और 1991-92 में 119.49 हो गयी।

(ग) चालू देयताओं (प्रावधानों को छोड़कर) में द्रुत परिसम्पत्तियों (छुटपुट देनदारियों, पेशगियाँ, नकद व बैंक बैलैंस) की प्रतिशतता 1989-90 में 225.53 से घटकर 1990-91 में 175.14 और 1991-92 में 114.94 हो गई।

4. कार्यकारी पूंजी:

कम्पनी की कार्यकारी पूंजी में (चालू परिसम्पत्तियां घटा चालू देयताएं) 31 मार्च 1992 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की राशि क्रमशः 39015 लाख रुपए, 31483 लाख रुपए और 8155 लाख रुपए थी।

कुल टर्नओवर में कार्यकारी पूंजी की प्रतिशतता 1989-90 में 184.73 से 1990-91 में 127.21 और 1991-92 में बढ़कर 30.08 हो गई।

5. निधियों के स्रोत और उपयोग:

108787 लाख रुपए की निधियाँ आंतरिक और वाह्य स्रोतों से ली गयीं और वर्ष के दौरान उनका उपयोग नीचे दिए अनुसार किया गया।

(रुपये लाखों में)

(क) निधियों के स्रोत:

(1) इक्विटी पूंजी में वृद्धि	27720
(2) आरक्षित व अधिशेष में वृद्धि	4930
(3) उधार ली गयी निधियों में वृद्धि	48383
(4) संचयी मूल्यह्रास में वृद्धि	4382
(5) चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों व पेशगियों में कमी	21244
(6) चालू देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि	2124
(7) पूंजीकृत खर्चे में कमी	4
	108787

(ख) निधियों का उपयोग:

(1) सकल ब्लॉक में वृद्धि	4091
(2) चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	85096
(3) निर्माण भंडार व पेशगियों में वृद्धि	19600
	108787

6. कार्यकारी परिणाम:

वर्ष	बिक्री (रुपये लाखों में)	लाभ (रुपये लाखों में)	बिक्री से लाभ की प्रतिशतता	इक्विटी पूंजी से लाभ की प्रतिशतता
1989-90	20987	5250	25	3
1990-91	22395	5276	24	3
1991-92	24394	4930	20	2

7. मालसूची

	वर्ष		
	1989-90	1990-91 (रुपये लाखों में)	1991-92
(1) निर्माण भंडार	10804	10287	11591
(2) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों सहित अन्य मालसूची	1616	1792	1894
	12420	12079	13485

8. विविध ऋण

पिछले तीन वर्षों के विविध ऋण और बिक्री नीचे दिए गए हैं:-

(रुपए लाखों में)

	कुल बही ऋण (कंसीडर्ड)	बिक्री	बिक्री में ऋणों की प्रतिशतता
31 मार्च, 1990	20834	20987	99
31 मार्च, 1991	14780	22395	66
31 मार्च, 1992	19866	24394	81

(कंवलनाथ)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक
व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांक 23 दिसम्बर, 1992

31 मार्च 1992 का तुलनपत्र

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.03.92		31.03.91	
निधियों के स्रोत					
1. हिस्सेदारों की निधियां					
अ) पूंजी	1	192241		161930	
ब) आरक्षित एवं अधिशेष	2	29122	221363	24192	186122
2. इक्विटी के लिए भारत सरकार के समायोजन योग्य निधियों सहित			40012		42603
3. ऋणनिधियां	3				
अ) आरक्षित		100691		79249	
ब) अनारक्षित		139088	239779	104889	184138
			501154		412863
निधियों का उपयोग					
1. स्थिर पूंजीगत खर्च					
अ) स्थिर परिसम्पत्तियां	4				
सकल ब्लाक		148323		144232	
घटाएं: मूल्य ह्रास		25174		20792	
शुद्ध ब्लाक		123149		123440	
ब) चालू पूंजीगत कार्य	5	269929		184833	
स) निर्माण स्टोर व पेशगियां	6	92703	485781	73103	381376
2. चालू परिसंपत्तियां ऋण व पेशगियां	7				
अ) माल सूचियां		1894		1792	
ब) विभिन्न देनदार		19866		14780	
स) नकद व बैंक शेष		19936		19679	
च) अन्य चालू परिसंपत्तियां		1539		1382	
ज) ऋण व पेशगियां		6518		33364	
		49753		70997	
घटाएं: चालू देयताएं व व्यवस्थाएं देयताएं	8	34380		39514	
			15373		31483
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां					
3. विविध खर्च (बट्टे खाते में डाला गया या समंजित न हुए की सीमा तक)	9				
			501154		412863
लेखा तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियां	14				

अनुसूची 1 से 14 और लेखा-नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं

एन.वी. रामन
सचिव

ए.के. जैन
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ब्रिगेडियर आर.के. वर्मा
निदेशक (कार्मिक)

जी.पी. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 नवम्बर, 1992

ए.के. जैन
भागीदार

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.	31.03.92	31.03.91
आय			
1. ऊर्जा की बिक्री		23624	21911
2. ढुलाई प्रभार			
अ) अपनी लाइनों का		480	200
ब) अन्य लाइनों का	10	290	284
3. विविध आय		2577	2354
कुल आय		26971	24749
खर्च			
1. विद्युत शक्ति की खरीद		3865	3773
2. जनरेशन पारेषण और प्रशासनिक खर्च	11	1952	1380
3. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	12	2226	1297
4. ढुलाई प्रभार		292	287
5. रॉयल्टी		531	541
6. मूल्यह्रास		2141	1837
7. ब्याज		9639	8885
8. अनिश्चित ऋण के लिए व्यवस्था		1337	1472
9. बट्टे खाते डाले गये प्रारंभिक खर्चे		4	4
कुल खर्च		21987	19476
वर्ष के लिए लाभ		4984	5273
जोड़ें (घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन	13	(54)	3
आय कर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		4930	5276
पिछले वर्षों का आयकर			9
कर के पश्चात लाभ		4930	5267
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया लाभ जोड़ें		21012	16490
घटाएं: सांविधिक विनियोजन (बॉण्ड) रिडेम्पशन रिजर्व		4930	745
जनरल रिजर्व में हस्तान्तरित		21000	—
आगे ले जाये गये आरक्षित व अधिशेष लाभ		12	21012

एन.वी. रामन
सचिव

ए.के. जैन
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ब्रिगेडियर आर.के. वर्मा
निदेशक (कार्मिक)

जी.पी. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 नवम्बर, 1992

ए.के. जैन
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची-1
(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
प्राधिकृत पूंजी		
250,00,000 (पिछले वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर 1000/- रुपये प्रति शेयर	250000	250000
निर्गमित, अभिदत्त, व प्रदत्त पूंजी		
1000/- रुपये प्रतिशेयर की दर से पूरे प्रदत्त 19224140 (इक्विटी शेयर पिछले वर्ष) 16193040 (शेयर इसमें 6,29,529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त बैंकों के अनुवर्ती कंसीड्रेशन के लिए नियत कर दिये गये हैं और एक शेयर का नियतन नकदी के अलावा पार्ट-कंसीड्रेशन के लिए किया गया है)	192241	161930
	192241	161930

आरक्षित तथा अधिशेष

अनुसूची-2
(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
सामान्य रिजर्व	21000	—
लाभ व हानि लेखे	12	21012
निवेश भत्ता (उपयोग में लाया गया) रिजर्व	2345	2345
रिजर्व बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	5765	835
	29122	24192

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
आरक्षित ऋण		
बॉण्ड—''ए'' सीरीज		
(लोकतक और बैरास्यूल की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 14%, 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 जुलाई, 1993 है)	14212	14266
बॉण्ड—बी सीरीज		
(चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 13% पर 11.12.94 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	5033	5064
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 9% पर 11.12.97 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	7901	7919
बॉण्ड—सी सीरीज		
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)		
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल के सममूल्य पर 9% पर 20 मई, 1998 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	15000	15000

अनुसूची-3 (*जारी*)

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92		31.03.91	
बॉण्ड—''डी'' सीरीज़				
(चमेरा जलविद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 27 सितम्बर, 1999 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	22000		22000	
बॉण्ड—''ई'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 9 फरवरी, 2000 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	15000		15000	
बॉण्ड—''एफ'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये रिडीमेबल सममूल्य पर 13% पर 13 सितंबर, 1997 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	21500		—	
प्राप्त तथा देय ब्याज (दावा न किया गया)	45	100691	—	79249
अनारक्षित ऋण				
बॉण्ड—''एफ'' सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 13% पर 13 सितंबर, 1997 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	—		21500	
बॉण्ड—''जी'' सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 17.5% पर 2 दिसंबर, 1998 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	5000		—	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 17% पर 21 फरवरी, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	1000		—	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 18% पर 9 मार्च, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	10000		—	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 18% पर 30 मार्च, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	3000		—	
एक-एक हजार रुपए रिडीमेबल सममूल्य पर 9% पर 31 मार्च, 2002 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड	700		—	
भारत सरकार से	56655		55922	
सरकारी ऋण पर प्राप्त तथा देय ब्याज अन्यों से (भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त)	7213		—	
1. निर्यात विकास निगम (कनाडा)	46635		27319	
2. चार्टर्ड वेस्ट एल.बी. लिमिटेड द्वारा संचालित सहायता संघ	3438		148	
3. क्रेडिट कमर्शियल डी.ई. फ्रांस	5447	139088	—	104889
जोड़		239779		184138

स्थिर परिसंपत्तियां

अनुसूची-4

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास	शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.91 को	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटौतियां/ समंजन	31.3.1992 को	31.3.92 को	31.3.1992 को	31.3.91 को
भूमि (फ्री होल्ड)	2134	121	1	2254	—	2254	2134
भूमि (लीज़ होल्ड)	1176	358	2	1532	58	1474	1140
भवन	15334	1110	22	16422	3392	13030	12865
सड़कें और पुल	5377	217	—	5594	709	4885	4780
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	16454	400	339	16515	11771	4744	6008
जनरेटिंग संयंत्र और मशीनरी	9911	59		9970	1553	8417	8638
सब-स्टेशन उपस्कर	8790	922		9712	796	8916	8283
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि)	64181	40	86	64135	3582	60553	61301
गाड़ियां	1328	170	25	1473	894	579	530
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	1152	124	6	1270	424	846	809
ट्रांसमिशन लाइनें	17305	977	28	18254	1583	16671	16204
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	1090	104	2	1192	412	780	748
जोड़	144232	4602	511	148323	25174	123149	123440
पिछले वर्ष	128605	16137	510	144232	20792	123440	

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.92		31.3.91
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य खर्चे		1025		802
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		13379		10068
3. सड़कें और पुल		1297		1064
4. हाइड्रॉलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल		78857		54779
5. पेनस्टॉक		1323		495
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		19282		15672
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		7592		5378
8. विविध परिसंपत्तियां		533		389
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		13478		12534
10. भूमि जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसंपत्तियों पर खर्च		3746		3671
11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	79981		53713	
वर्ष के लिए जोड़ें	49403		29582	
जोड़	129384		83295	
वर्ष के दौरान घटा (जोड़) समायोजित	(33)		3314	
चालू पूंजीगत कार्य में जमा शुद्ध आई.ई.डी.सी.		129417		79981
कुल चालू पूंजीगत कार्य		269929		184833

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.92		31.03.91
1. **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	5839		3543	
भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	303		257	
ग्रेच्युटी निधि अंशदान	153		49	
स्टाफ कल्याण खर्चे	533		255	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	6	6834	7	4111
2. **मरम्मत और रख-रखाव**				
भवन	155		153	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	1121		1208	
अन्य	360	1636	348	1709
3. यात्रा व वाहन		145		132
4. स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च		340		236
5. भूमि अर्जन और पुनर्वास खर्चे		1		—
6. कार्यालय का किराया		136		133
7. आवासीय स्थान के लिए किराया		58		54
8. दरें व कर		459		80
9. बीमा		303		388
10. बिजली प्रभारें		489		410
11. टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		77		81
12. विज्ञापन व प्रचार		50		48
13. डिजाइन व परामर्श प्रभारें		3		39
14. मनोरंजन		2		2
15. छपाई व लेखन सामग्री		65		65
16. **लेखापरीक्षकों को भुगतान**				
लेखापरीक्षा शुल्क	2		2	
अन्य मामलों के लिए	1		1	
लेखापरीक्षा खर्चे	2	5	2	5
17. ऋणों पर ब्याज		6191		4209
18. बांडों पर ब्याज		10596		9187
19. बांड जारी करने के खर्चे		195		43
20. बैंक प्रभारें		15		5
21. तकनालॉजी का हस्तांतरण		47		3
22. विदेशी ठेकों पर आयकर		2360		1390
23. बट्टे खाते डाली गई सामग्रियों और परिसंपत्तियों पर हानि		144		185
24. विदेशी परामर्श प्रभारें		2942		340
25. वायदा शुल्क		516		572
26. वित्तीय प्रभारें		946		4520
27. मूल्यह्रास		1763		1679
28. विनिमय दर परिवर्तन		18404		3070
29. पूर्व अवधि खर्चे		1269		971
30. अन्य खर्चे		483		772
31. चंदे व अन्य अंशदान		—		2
32. प्रबंधन खर्चे एन.पी.टी.सी.		188		—
कुल खर्च		56662		34441
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियां				
1. रद्दी सामग्री की बिक्री		97		2
2. बिजली प्रभारें		391		389
3. किराया		3		22

अनुसूची-5 का अनुबंध (*जारी*)
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.92		31.03.91
4. ब्याज				
आवधिक जमा व बचत खाता		795		367
ऋण व पेशगियाँ		162		105
अन्य निवेश		1661		635
5. विविध प्राप्तियां व वसूलियां		996		120
6. परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		22		69
7. पूर्व अवधि समायोजन		474		19
कुल प्राप्तियां		4601		1728
शुद्ध खर्च		52061		32713
घटाएं:-				
1. चालू पूंजीगत कार्य को किराया प्रभारें/बिना बारी के आंबटित/सीधे आबंटन योग्य	2435		2948	
2. अन्वेषण, डिपाजिट, एजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आबंटित आई.ई.डी.सी.	223	2658	183	3131
चालू पूंजीगत कार्य को हस्तांतरित राशि		49403		29582

टिप्पणी:

1. क) उपर्युक्त खर्चे में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैं:-

	1991-92 (रु.)	1990-91 (रु.)
(1) वेतन व भत्ते	624726	398584
(2) भविष्य निधि अंशदान	53797	37110
(3) आवासीय स्थान के लिए किराया	240000	131364
(4) यात्रा खर्चे	216695	229910
(5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	16366	16553
(6) छुट्टी यात्रा रियायत	25942	—

(ख) सरकारी मंजूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को गैर ए.सी. कार के लिए 250/- रुपए प्रतिमास और ए.सी. कार के लिए 400/-रुपए प्रतिमास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिए कंपनी की कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। स्टाफ कार का प्राधिकार मूल्य, यदि असीमित प्रयोग के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो वर्ष 1991-92 के दौरान 9935/-रुपए (पिछले वर्ष 7800 रुपए) होगा।

2. बॉण्ड जारी करने पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

अप फ्रंट 195 लाख रुपए

निर्माण स्टोर व पेशगियाँ

अनुसूची-6
(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.03.92		31.03.91
1. निर्माण स्टोर (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)				
ट्रांजिट में निर्माण सामान	772		458	
स्टोर	10819	11591	9829	10287
2. पूंजी खर्च के लिए पेशगियाँ				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	58721		472	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	22391	81112	62344	62816
		92703		73103

कंपनियां, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा शून्य रुपए (पिछले वर्ष 75 लाख रुपए) पेशगी देय है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे			31.03.92		31.03.91
1. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)					
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जे		1885		1777	
लूज़ टूल्स		9	1894	15	1792
2. विभिन्न देनदारियां					
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		15557		10547	
अन्य ऋण		8480		7067	
घटाएं: संदेहजनक ऋणों के लिए व्यवस्था		4171	19866	2834	14780
विभिन्न देनदारों के ब्यौरे					
अनारक्षित कंसीडर्ड गुड		19866		14780	
संदेहजनक समझे गए और दिए गए		4171		2834	
3. नकद और बैंक शेष					
नकदी, अग्रदाय, चैक, ड्राफ्ट्स, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें		72		15	
अनुसूचित बैंकों में शेष					
चालू खाता		1972		5314	
अनुसूचित बैंकों में जमा		8466		7500	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष					
चालू खाता		9426	19936	6850	19679
		वर्ष के दौरान अधिकतम शेष			
		1991-92	1990-91		
स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन					
चालू खाता		10272	8313		
आवधिक जमा		8400	3706		
4. अन्य चालू परिसंपत्तियां					
जमा राशियों पर उपचित ब्याज		125		92	
अन्य		1414	1539	1290	1382
5. ऋण व पेशगियां					
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां					
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		—		33	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)		4357		3289	
अनारक्षित (संदेहजनक)	10		10		
घटाएं: व्यवस्थाएं	10		10		
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)		482		362	
कस्टम में शेष		3		1	
भारत सरकार का सार्वजनिक जमा खाता		1676	6518	29679	33364
			49753		70997

निदेशकों द्वारा देय पेशगी शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)। वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 11600/- रुपए (पिछले वर्ष 156038/- रुपए)।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-8

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
1. विविध लेनदार	4312	7754
2. डिपाजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि	455	215
3. डिपाजिट्स/रिटेंशन राशि	793	742

अनुसूची 8 (*जारी*)

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
4.	अन्य देयताएं	11103	4819
5.	ऋण पर उपचित ब्याज परन्तु अभी देय नहीं	17699	23857
6.	जारी किए गए चैकों के लिए देयता	18	2127
		34380	39514

ऋणों पर उपचित ब्याज, परन्तु जो अभी देय नहीं है, में शामिल हैं—संचयी बॉण्डों पर 1289 लाख रुपए (पिछले वर्ष 990 लाख रुपए) जो बॉण्डों की परिपक्वता (मैच्युरिटी) पर दिया जाना है।

डिपाजिट कार्यों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

अनुसूची-8 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.3.92 तक डिपाजिट राशि	31.3.91 तक खर्च	1.4.91 से 31.3.92 तक खर्च	31.3.92 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
क.	**डिपाजिट कार्य**					
	ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें					
1.	गंगतोक से दिक्चू	424	421	—	421	3
2.	लीमातक-जिरीबाम	472	454	—	454	18
3.	रामनगर-गंडक	177	158	—	158	19
ख.	**एजेंसी आधार पर परियोजनाएं**					
1.	देवीघाट परियोजना	4069	4038	1	4039	30
2.	त्रिशूली पावर संसाधन अन्वेषण कार्य	5	6	—	6	(1)*
3.	केलपोंग जल विद्युत परियोजना	50	—	11	11	39
4.	इन्द्रावती बे	211	—	16	16	195
5.	सलाकती	1244	1066	224	1290	(46)*

टिप्पणी: ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद खर्च दर्शाता है और इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं है। फिर भी खर्च में सप्लायर्स को पेशगी, ठेकेदारों को पेशगी, जमाएं तथा इस्तेमाल न हुआ स्टाक शामिल है।

* चालू परिसंपत्तियों, ऋण और पेशगियों के अंतर्गत दिखाया गया है।

सहायता-अनुदान

अनुसूची-8 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92		31.03.91	
	जल-विद्युत परियोजना के अन्वेषण के लिए सहायता-अनुदान				
1.	चमेरा (अन्वेषण)	336		336	
2.	धालेश्वरी	167		167	
3.	धौलीगंगा	592		592	
4.	गौरीगंगा चरण-I	238		238	
5.	गौरीगंगा चरण-II	161		161	
6.	गौरीगंगा चरण-III	130		80	
7.	किशनगंगा	252	1876	202	1776
	घटाएं: खर्च				
1.	चमेरा (अन्वेषण)	300		300	
2.	धालेश्वरी	197		191	
3.	धौलीगंगा-I	310		310	
4.	धौलीगंगा-II	235		225	
5.	गौरीगंगा चरण-I	221		221	

अनुसूची-8 का अनुबंध (*जारी*)

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92		31.03.91	
6.	गौरीगंगा-चरण-II	160		135	
7.	गौरीगंगा-चरण-III	144		112	
8.	किशनगंगा	202		195	
9.	बराह पंप स्टोरेज स्कीम	30		30	
		1799		1719	
	प्राप्तियों से अधिक अन्वेषण पर हुए अत्यधिक खर्च को "ऋण व पेशगियों" के अंतर्गत दर्शाई गई चालू परिसंपत्तियों में से घटाएं:	74	1725	86	1633
	सहायता-अनुदान की खर्च न हुई राशि		151		143

विविध खर्च

अनुसूची-9

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92		31.03.91	
	बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक का विविध खर्च				
1.	प्रारंभिक खर्चे				4
2.	बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	178	—	186	—
3.	घटाएं: प्रदान किए गए	178	—	186	—
			—		4

विविध आय

अनुसूची-10

(रुपये लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
1.	पी.डी. खाते पर ब्याज	—	2129
2.	अन्य विविध प्राप्तियां	131	142
3.	देयताएं जो पुनः अपेक्षित नहीं हैं	2406	—
4.	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	40	83
		2577	2354

जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्चे

अनुसूची-11

(रुपए लाखों में)

	ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
क.	**जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्चे**		
	स्टोर व अतिरिक्त पुर्जों की खपत	254	117
	मरम्मत व रख-रखाव		
	क) भवन	102	84
	ख) मशीनरी	129	121
	ग) अन्य	476	271
	अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	55	109
ख.	**प्रशासनिक खर्चे**		
	किराया	6	4
	दरें व कर	7	5

अनुसूची-11 (*जारी*)

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
बीमा	30	29
बिजली प्रभारें	94	78
यात्रा व वाहन	67	43
स्टाफ कारों पर खर्च	60	107
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	29	23
परामर्शी प्रभारें	1	1
विज्ञापन और प्रचार	5	7
छपाई व स्टेशनरी	12	12
कारपोरेट कार्यालय में प्रबंधन खर्च	202	183
अन्य विविध खर्चे	130	144
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1	12
प्रबंधन खर्चे—एन.पी.टी.सी	163	—
शीघ्र भुगतान पर खर्च	78	30
डेबिट शेष बट्टे खाते	51	—
	1952	1380

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
वेतन, मजदूरी और भत्ते	1823	1066
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	130	96
स्टाफ कल्याण खर्चे	273	135
	2226	1297

पूर्व अवधि समंजन

अनुसूची-13

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.03.92	31.03.91
1. बिजली की बिक्री	(51)	17
2. ब्याज	—	10
3. मूल्यह्रास	4	12
4. रॉयल्टी	17	—
5. वेतन व मजदूरी	(5)	7
6. मरम्मत व रखरखाव	—	(8)
7. अन्य विविध	(19)	(35)
	(54)	3

लेखे और आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित के संबंध में मुख्य देयताएं मौजूद हैं:

   क) कम्पनी के विरुद्ध दावे की राशि 29891 लाख रुपये बनती है, जिसे पावती के तौर पर नहीं दिया गया है जो (पिछले वर्ष 26525 लाख रुपये) थी।

   ख) आयकर मांग शून्य (पिछले वर्ष 581 लाख रुपये)।

   ग) दुलहस्ती और उड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों के कंसोर्टियम द्वारा बिना शुल्क आयात किए गए निर्माण मशीनरी व फालतू सामान (स्पेयर्स) के पुनः निर्यात के लिए कम्पनी द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 18787 लाख रुपये (पिछले वर्ष 18787 लाख रुपए) की कीमत के बांड निष्पादित किए गए हैं। एजेंसी आधार पर डिपाजिट कार्यों और अनुदान सहायता पर निष्पादित परियोजनाओं के संबंध में फुटकर देयताएं यदि कोई हैं, शामिल नहीं की गई हैं, क्योंकि कारपोरेशन को ऐसी किसी देयता की प्रत्याशा नहीं है।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले शेष खर्चों की अनुमानित राशि और जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 274701 लाख रुपये बनती है। (पिछले वर्ष 198607 लाख रुपये)।

3. "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड-एडजेस्टेबल टु इक्विटी" में निम्न शामिल हैं:

   क) सरकार से लिए गए ऋण की 180 लाख रुपये (पिछले वर्ष 180 लाख रुपये) की राशि जिसे इक्विटी में बदलने के लिए सरकार सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। अभी कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया जाना शेष है।

   ख) भारत सरकार से प्राप्त 6672 लाख रुपये (पिछले वर्ष 9263 लाख रुपये) का आबंटन अभी लंबित है।

   ग) 33160 लाख रुपए (पिछले वर्ष 33160 लाख रुपए) सलाल परियोजना में सरकार के फण्डके हिस्से के रूप में और टिप्पणी सं. 4 में बताए अनुसार इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपचित ब्याज का हिस्सा है।

4. सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) जिसे कारपोरेशन भारत सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर निष्पादित कर रही थी, वह वास्तव में 1 नवम्बर, 1987 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को हस्तांतरित हो गई है। हस्तांतरण की शर्तों और इस संबंध में कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस परियोजना के लेखे कारपोरेशन के लेखों में निगमित कर दिए गए हैं। इसके लिए उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका कारपोरेशन को भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था जो नीचे दिए अनुसार है:

   क) परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार से कुल फण्ड-इन-फ्लो में से 29764 लाख रुपए की राशि परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के पहले 50 प्रतिशत को भारत सरकार से निवेश के तौर पर और इक्विटी हिस्सा पूंजी के निर्गम द्वारा समायोजित मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि को लेने की तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में माना गया है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गई ऋण की राशि क्रमशः 33160 लाख रुपए और 31070 लाख रुपए बनती है जो क्रमशः "इक्विटी में समायोज्य सरकारी फण्ड" और "असुरक्षित ऋण"में शामिल की गई है।

   शर्तों का निपटान लंबित होने पर ऋण और ब्याज की गैर-अदायगी के लिए 5292 लाख रुपए (31.3.1991 तक दिए गए 2308 लाख रुपए सहित) के अतिरिक्त ब्याज की व्यवस्था चालू देयताओं में शामिल की गई है।

5. दिनांक 19.11.91 से सभी ट्रांसमिशन लाइनें मैनेजमेंट आधार पर नैशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (एन.पी.टी.सी.) को हस्तांतरित कर दी गई थीं। दिनांक 19.11.91 से 31.3.92 तक की अवधि के दौरान किये गये सभी खर्चे कारपोरेशन की ओर से एन.पी.टी.सी. द्वारा कर्मचारियों के लिए खर्चों के अतिरिक्त और खर्चे खाते में बुक किये गये, जो एन.पी.टी.सी. के प्रबंध खर्चे में दर्शाए गए हैं।

6. क) लाभभोगियों के साथ बिजली आपूर्ति के करारों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। करारों को अन्तिम रूप दिये जाने तक बैरास्यूल और सलाल परियोजनाओं से की गई बिजली की बिक्री को क्रमशः 36.65 पैसे और 49.34 पैसे के.डब्लयू.एच. की अनन्तिम दरों पर लेखे में लिया गया है तथा दिनांक 1.4.91 से 20.10.91 के दौरान लोकतक और चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम से भी की गई बिजली की बिक्री को क्रमशः 56.90 तथा 48.50 पैसे प्रति के.डब्लयू.एच. तथा 21.10.91 से 31.3.92 के दौरान क्रमशः 58.78 पैसे तथा 49.73 पैसे के.डब्लयू.एच. की दर से लेखे में लिया गया है फिर भी लाभभोक्ताओं से दर-समझौतों से संबंधित हुए विचार-विमर्श के आधार पर 1373 लाख रुपए दिए गए हैं जो दर संमजनो के लिए लाभ और हानि लेखों में दर्शाए गए हैं। उपरोक्त तथ्यों को तथा किये गये संचयन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए लाभभोक्ताओं की ओर 1337 लाख रुपए टैरिफ समंजन के लाभ और हानि लेखे में चार्ज किये गये हैं।

   ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ करार को अंतिम रूप दिए जाने का मामला लंबित होने के कारण जे.टी.टी.एस. से बिजली की ढुलाई के प्रभारोंको 40 लाख रुपए प्रतिमाह की दर से हिसाब में लिया गया है।

7. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे के लिए अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगी और अन्य प्रासंगिक खर्चों का समंजन, यदि कोई हो, तो अन्तिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक भूमि का स्वामित्व कारपोरेशन को नहीं दिया गया है।

8. चल रही परियोजनाओं में निपटान/स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षारत फालतू निर्माण उपस्करों, जिनके लिए लेखा नीति सं. (2 बी II) के अनुसार कोई मूल्यह्रास चार्ज नहीं किया गया है, का मूल्य 2331 लाख रुपए (सकल ब्लाक) है, जो पिछले वर्ष 2045 लाख रुपए था।

9. उड़ी परियोजना के मामले में:

   i) जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ लीज डीड की शर्तों व नियमों को अन्तिम रूप देने का मामला लंबित होने के कारण परियोजना द्वारा खरीदी गई तथा अधिग्रहण की गई भूमि को परियोजना कार्य के लिए नहीं लिया जा सका है। लीज की अवधि अस्थाई तौर पर 90 वर्ष रखी गई है।

   ii) जम्मू-कश्मीर में कानून व व्यवस्था की स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण 539 लाख रुपये मूल्य के पूंजी निर्माण भंडारों को प्राइस्ड स्टोर लेखों और बिन कार्डों से सत्यापित तथा मिलान नहीं किया जा सका है। खपत के पश्चात निपटान, कमीबेशी यदि कोई हो, जब भंडार का मिलान होगा, किये जाएंगे।

   iii) जम्मू-कश्मीर राज्य के पी.डब्लू.डी. विभाग की गंटामुल्ला में कुछ भूमि तथा पुरानी बिल्डिंग के लिए कीमत तथा नियम व शर्तों के लंबित होने के कारण लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिसके लिए पी.डी.डी. द्वारा 83 लाख रुपये की मांग की गई है। जिस पर अभी पत्राचार चल रहा है। इसे करार होने पर लेखे में लिया जाएगा।

   iv) पिछले वर्षों में 465 लाख रुपये मूल्य की स्थिर परिसम्पत्तियों (जिनमें 16 लाख रुपये पिछले बकाया भी शामिल हैं) को उपयोग में लाया गया, लेकिन वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया जिसे प्रबंधवर्ग द्वारा सत्यापित किया गया और तकनीकी मामला होने के कारण लेखा परीक्षकों को इसके निपटान की आशा है।

10. चमेरा परियोजना में कुछ हानियां, जो बीमा के दायरे में आती हैं, के लिए अनुमान तथा उसके दावों को अभी तक दायर नहीं किया गया है जो कि मरम्मत तथा अन्य कार्यों पर किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर दायर किये जाते हैं।

11. सलाल परियोजना चरण-I जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1987-88 के दौरान पूरा किया गया था:

   i) कुछ स्क्रैप जो निर्माण कार्य के दौरान इकट्ठी हुई लेकिन वर्ष के दौरान बेची गई, बिक्री के 73 लाख रुपए डैम व बैराज, पावर-हाउस तथा टनल खाते में डाले गये हैं।

   ii) स्टाम्प ड्यूटी संबंधी देयता यदि कोई है, जिसका हस्तांतरण भारत सरकार से कारपोरेशन को किया गया है को कागजात तैयार करते समय प्रस्तुत किया जायेगा।

12. चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम के मामले में पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा पूरे लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इन लेखों को अंतिम रूप दिये जाने तक 32.2311 मेगा यूनिट विद्युत की बिना बिलों की बिक्री को 48.50 पैसे प्रति के.वी.एच. की अस्थाईदर से लेखे में लिया गया है।

13. कुछ परियोजनाओं में ठेकेदारों को दिये गये माल सामग्री, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियों, विविध खर्चों, ऋणों व पेशगियों, विविध जमाएं, ठेकेदारों से जमा/उपचित राशि आदि को पुनर्मिलान/निर्धारण आधार पर लिया गया है। निपटान यदि कोई हो तो उसे पुनर्मिलान/निर्धारण के समय किया जायेगा।

14. कुछ परियोजनाओं में पूंजीगत सेवाओं, वर्ष के दौरान पेशगी/जमाओं के आधार पर प्राप्त भंडारों, का समंजन नहीं किया गया है। ऐसा उनके सत्यापित बिल/अन्य दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुआ है।

15. अगस्त 1987 से कामगारों का वेतन संशोधन कर दिया गया है। विस्तृत गणना आदि लम्बित होने के कारण, वेतन संशोधन के परिणाम स्वरूप देयताएं अनुमानित आधार पर निपटाई गयी हैं। एक्सग्रेशिया/उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन आदि भी अनुमानित आधार पर निपटाया गया है।

16. पिछले वर्ष तक कारपोरेशन द्वारा विदेशी भुगतान विदेशी बैंक खातों से भुगतान की तारीख को लागू विदेशी विनिमय दरों के आधार पर किया जाता था, वर्ष के दौरान उपर्युक्त भुगतान का परिवर्तन बैंक लेखों से निकासी कालानुक्रम में की जायेगी, इससे वर्ष के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. बिजली की खरीद संबंधी करार भूटान की शाही सरकार के साथ किया जा चुका है। पिछले वर्षों की 2406 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता को विविध आय के लेखे में डाला/दिखाया गया है।

18. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दर्शाये गये कुछ अधिक/गलत खर्चे/जमाएं आदि को बैंक की पुनर्मिलन सारणी में दर्शाया गया है। इन मदों पर बैंक के साथ पत्राचार चल रहा है। निपटान यदि कोई हो, को लेखा खातों में निपटान के समय दर्ज किया जाएगा।

19. दिनांक 31.3.91 तक की ग्रेच्युटी देयताओं के भुगतान के लिए कारपोरेशन ने जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्युटी पालिसी अपना रखी है। पालिसी तब से निरस्त कर दी गई है। वर्ष 1991-92 के लिए देयताएं लेखा पुस्तकों में बिना उचित मूल्यांकन के अनुमानित आधार पर दर्ज की गई हैं।

20. मात्रात्मक विस्तारः

	1991-92	1990-91
1. लाइसैंसीकृत क्षमता (मेगावाट)	(लागू नहीं)	(लागू नहीं)
2. अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	630	630
3. वास्तविक उत्पादन (मेगावाट)	3567	3617
4. विद्युत की खरीद (मि.यू.)	1432	1397
5. वास्तविक बिक्री (मि.यू.)	4940	4853

		रुपए लाख में	प्रतिशत आय	रुपए लाख में	प्रतिशत
21.	क. सी आई एफ आधार पर आयातित पूंजीगत सामान की कीमत	3492	—	3149	—
	ख. खर्च विदेशी मुद्रा में				
	i) जानकारी	—		1644	
	ii) ब्याज	3594		2247	
	iii) अन्य विविध मामले	35902		29531	
	ग. विदेशी मुद्रा में अर्जन				
	i) ब्याज	918		671	
	घ. चालू परियोजनाओं में उपयोग में लाये गये अतिरिक्त पुर्जों व अवयवों का मूल्य				
	i) आयातित	—	—		
	ii) देशी	254	100	117	100

22. वर्ष के दौरान ऋण वापसी की किस्त के लिए देय अनारक्षित ऋणों में 17053 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7801 लाख) की राशि शामिल है।

23. आयकर की देयता के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि आयकर अधिनियम के अधीन हानियों को आगे ले जाया गया है।

24. पिछले वर्षों में आंकड़ों को पुनः एकत्रीकरण/पुनः मिलान किया गया था, जहां यह आवश्यक था वहां इनका चालू वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया गया है।

लेखा नीतियां

महत्त्वपूर्ण नीतियां

1. *लेखा पद्धति*

i. कारपोरेशन द्वारा लेखों में मर्केन्टाइल पद्धति अपनाई जा रही है और आय तथा व्यय की पहचान एक्यूरल आधार पर की जा रही है।

ii) वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत पर आधारित हैं। इस लागत में मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तनीय मूल्य के प्रभाव को दिखाने के लिए इन लागतों को समायोजित नहीं किया गया है।

2. *स्थिर परिसंपत्तियां व मूल्यह्रास*

(क) स्थिर परिसंपत्तियां

स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन अथवा निर्माण घटाएं — मिश्रित मूल्यह्रास (फ्रीहोल्ड भूमि के अतिरिक्त) आधार पर किया जाता है। फिर भी जिन मामलों में वास्तविक खर्च सीधे-स्पष्ट तौर पर निश्चित नहीं हो पाते हैं तो उसे शुद्ध अनुमानों के आधार पर निकाला गया है। वह राशि जो कि कारपोरेशन की संपत्ति के किसी एक हिस्से के रूप में अथवा संयुक्त रूप से किसी एजेन्सी द्वारा लगाई गयी है, को उस संपत्ति की कुल लागत में से कम करके लेखों में शुद्ध लागत दर्शाई गई है। परिसंपत्तियों का इन्टर-यूनिट हस्तांतरण लेखा-लागत पर किया गया है।

(ख) मूल्यह्रास और परिशोधन

i) लीज़होल्ड भूमि

लीज़होल्ड भूमि की किस्तों को लीज़ की अवधि के आधार पर परिशोधित किया गया है।

ii) अन्य परिसंपत्तियां:-

उत्पादन स्टेशनों पर संचालन व रखरखाव, ट्रांसमिशन/उत्पादन, के लिए उपयोग में लाई गई मशीनरी, उपस्कर, तथा प्लांट आदि परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधे तौर पर विद्युत सप्लाई अधिनियम 1948 की धारा 68 की उपधारा 1 के अनुसार निर्धारित दरों से ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोग में लाये जाने वाले वर्ष से चार्ज किया जा रहा है। निर्माण प्लांट व मशीनरी उपस्कर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कार्यालय उपस्कर, भवनों आदि पर लगने वाला मूल्यह्रास भी कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में प्रस्तावित दरों के अनुसार सीधे तौर पर चार्ज किया जा रहा है। फिर भी 2 अप्रैल 1987 से पूर्व अधिगृहित की गई परिसंपत्तियों पर लगने वाले मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम में पहले किये गये प्रावधानों के अनुसार दिये जा रहे हैं। इस बारे में स्पष्टीकरण कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा किये गये हैं।

उन निर्माण उपस्करों पर जिन्हें संचालित यूनिटों में फालतू घोषित कर दिया गया है कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।

3. *तकनीकी-जानकारी-शुल्क:*

तकनीकी जानकारी के लिए हुए खर्चे को निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय लागत के रूप में माना गया है तथा इसे पैरा II में बताई संपत्तियों पर दर्शाया गया है।

4. *संपत्ति-सूचियां:*

i) स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत-अनुसार किया गया है।

ii) छोटी मदें तथा औजार जिनका व्यक्तिगत मूल्य 100/- से कम है को उपभोग्य खाते में डाला गया है। 100 रु. या इससे अधिक कीमत के खुले औजारों के मामले में लागत पूंजीकृत की गयी है तथा इसे "खुले औजार लेखे" में दर्शाया गया है। इस प्रकार पूंजीकृत किये गये खुले औजारों को 5 समान वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डालकर खुले औजारों के उपभोग्य खाते में दर्शाया गया है।

5. *विनिमय अस्थिरताः*

निर्माण के दौरान विदेशी विनिमय ऋणों की देयताएं वर्ष के अन्त में लागू विनिमय दरों के अनुसार निर्धारित की गई हैं और इसमें अन्तर, यदि कोई हो, तो उसे निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक खर्चे में हस्तान्तरित किया गया है जिसे निर्माणाधीन पूंजीगत-कार्य-जो पूंजीकरण के लिए निरस्त है, का हिस्सा माना गया है।

6. *ग्रेच्यूटी*

कारपोरेशन के पास एक प्राधिकृत ग्रेच्यूटी फंड है। दिनांक 31.3.91 तक की ग्रेच्यूटी संबंधी सभी देयताओं की आवश्यक किस्तें जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रेच्यूटी पॉलिसी को जमा कर दी गई थी। यह पॉलिसी तभी से बन्द कर दी गई है। इस वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी देयताएं लेखों में दर्ज कर दी गई हैं जो कि भुगतान के लिए राशि न होने के कारण निरस्त पड़ी हैं।

अन्य पॉलिसियां

7. कारपोरेशन की बहुत सी परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता अनुदान राशि प्राप्त की गई है। अनुदान की बकाया राशि को अन्वेषण कार्य पर किये गये खर्चे काट कर लेखों में दर्शाया जा रहा है। अनुदान राशि से खरीदी/निर्माण की गई परिसंपत्तियों का स्वामित्त्व कारपोरेशन का नहीं है। अतः इन संपत्तियों का स्वामित्व कारपोरेशन के स्वामित्व में शामिल नहीं किया गया है।

8. उन पूंजीगत कार्यों पर जो पूरे तो हो चुके हैं परन्तु उनको कारपोरेशन द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत तथा निरीक्षित नहीं किया है, पर, देयताएं, यदि कोई हों, तो उन्हें नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार उस मार्गस्थ माल के लिए माल के प्राप्त होने तक देयताएं नहीं दर्शायी गयी हैं जिसका कारपोरेशन द्वारा निरीक्षण किया जाना है तथा उसे स्वीकृत किया जाना है।

9. निर्माणाधीन परियोजनाओं में अनुदान तथा लागत का हिस्सा जो ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च किया जा चुका है जो कारपोरेशन का नहीं है उसको 'निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर' जिसका अभी अंतिम आबंटन लंबित है, के खाते में दर्शाया गया है।

10. कारपोरेशन की संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें उन्हीं सामान्य प्रभारों के अनुसार उसी दर से चार्ज की जा रही हैं जिस दर पर संचालित परियोजना से संबंधित लाभभोक्ता राज्यों को बिजली दी जा रही है। इस प्रकार बेची गई बिजली पर राष्ट्रीय लाभ के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इस राशि का आंकन नहीं हो सका है।

11. निर्माण के दौरान हुए कुल प्रासंगिक खर्चे और वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन के लिए निश्चित की गई परियोजनाओं पर उत्पादन शुरू करने के पहले दिन तक हुए अप्रत्यक्ष खर्चे को "प्रत्यक्ष-स्थिर अचल परिसंपत्तियों" (भूमि को छोड़कर) में डाला गया है।

12. कारपोरेट कार्यालय में अधिशेष (सरप्लस) कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक सहित कार्यालय के खर्चों को नीचे दिये अनुसार आबंटित किया गया है:-

(क) कारपोरेशन द्वारा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों पर हुए 2% की समानदर से प्राप्त प्रत्यक्ष पूंजी खर्च।

(ख) सम्बद्ध परियोजनाओं/यूनिटों को दी गई सेवाओं की मात्रा के आधार पर परियोजनाओं/यूनिटो के मामले में कारपोरेट कार्यालय में हुए अनुमानितं डिज़ाइन खर्चे।

(ग) तीसरी पार्टी को देय करों, ड्यूटियों, व्हीलिंग चार्जेज व बिजली प्रभारों रहित ऊर्जा की बिक्री के 1% की दर से संचालनात्मक परियोजनाओं और ट्रांसमिशन सिस्टम पर।

(घ) शेष खर्चों का आबंटन निर्माणाधीन, अन्वेषण, एजेंसी आधार पर और संचालनात्मक परियोनाओं पर वर्ष के दौरान उन पर हुए शुद्ध पूंजीगत खर्च के यथानुपात आधार पर किया गया है।

13. चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से संबद्ध प्राप्त या वसूली गई आय या खर्चों को 'पूर्व अवधि समायोजन' शीर्षक में दिखाया गया है जिनमें कि प्रत्येक मामले में 5000 रुपए से अधिक की राशि शामिल है।

14. संचालनात्मक परियोजनाओं में जहां निर्माण कार्यकलाप अभी चल रहे हैं, सामान्य सेवा खर्चे मूलरूप में प्रत्येक क्रिया-कलाप यदि निर्माण संचालन, द्वारा की गई अनुमानित सेवाओं से प्राप्त लाभ के आधार पर आबंटित किये गये हैं।

15. कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं में निधि लगाने के लिए बाँड जारी किये गये हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का सृजन, यदि आवश्यक हुआ विलम्बनकाल यॉनि संबंधित परियोजना में वाणिज्यिक संचालनों के आरम्भ होने के बाद शुरू किया जाएगा।

16. निर्माण अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डिबैंचर/बाँड जारी करके वित्तीय व्यवस्था जुटाने पर हुए खर्च को पूंजीगत खर्च के तौर पर लिया जाता है और "निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च" में डाला जाता है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के सदस्यों की सेवा में

हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1992 के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परियोजनाओं/यूनिटों का लेखापरीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है और यह रिपोर्ट तैयार करने में संबंधित यूनिटों के लिए उनकी रिपोर्टों पर विचार किया है। हमारी रिपोर्ट है किः-

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित है, हमने कथित आदेश पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में संलग्न किया है।

2. उपर्युक्त पैरा-I में संदर्भित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावा हमारी रिपोर्ट है किः-

   i) सलाल चरण-I परियोजना के मामले में लेखों को कारपोरेशन के लेखों में सम्मिलित किया गया है। यह विद्युत व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के दिनांक 9.2.1989 के पत्र सं. 4 (1) 78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) और दिनांक 12.7.91 के पत्र सं. 4 (1)/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों के विशेषज्ञों की कानूनी सलाह के आधार पर परियोजना के कानूनी स्वामित्व हस्तांतरण लंबित होने के विषय में विचार करने के बाद किया गया है। इस परियोजना को कारपोरेशन के स्वामित्व में हस्तांतरित करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

   ii) लेखा नीति सं. 9 के अनुसार निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में अनुदान/लागत के हिस्से/कारपोरेशन से असंबंधित परिसंपत्तियों पर हुआ खर्च आवंटन होने तक निर्माणाधीन कार्य प्रगति के अन्तर्गत लेखों में दिखाया गया है। हमारे विचार में कथित लेखानीति मानक लेखा और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स के मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार ऐसे खर्चों को अलग शीर्ष के अन्तर्गत रखने की और हानि/लाभ लेखे की परियोजना चालू होने के अधिकतम पांच वर्ष के अंदर परिव्यय कर की आवश्यकता है। क्योंकि कथित मामले में धनराशि निर्धारित नहीं की गई है, अतः इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

   iii) नोट सं. 6 (क व ख) –अनुसूची 14-विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य एजेंसियों से बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व और जे.टी.टी.एस. के वाहन प्रभारों को अंतिम दरों/मीटर रीडिंग के आधार पर लेखे में लिया गया है क्योंकि लाभभोक्ताओं के साथ बिक्री संबंधी करारों को अंतिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है। इस संबंध में लाभ पर पड़े प्रभाव का निर्धारण करारों को अंतिम रूप दिए जाने तक नहीं किया जा सकता।

   iv) नोट सं. 7 अनुसूची 14 अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगियों के आधार पर भूमि की लागत के लिए और कारपोरेशन को भूमिस्वामित्व के हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने पर संबद्ध लेखों में सही देयताओं का निर्धारण और परिमापन नहीं किया गया है।

   v) नोट सं. 8-अनुसूची 14 संचालित परियोजनाओं में 2331 लाख रु. सकल मूल्य के फालतू निर्माण उपस्करों, जिनका निपटान/हस्तांतरण होना है, पर मूल्यह्रास की व्यवस्था न करने के संबंध में है।

   vi) नोट सं. 9(II)-अनुसूची 14 उड़ी जल-विद्युत परियोजना में 539 लाख रु. के पूंजीगत निर्माण भंडारों के सत्यापन और समाधान न होने के संबंध में है, जिनका खपत, कमी और अधिकता के लेखे में मूल्य भंडार खाते में समायोजन नहीं हुआ है।

   vii) नोट संख्या 9 (III) अनुसूची 14 उड़ी जल विद्युत परियोजना में जम्मू व कश्मीर के विद्युत विकास विभाग से ली गई भूमि और कुछ पुरानी बिल्डिंगों के संबंध में व्यवस्था न करने से संबंधित है।

   viii) नोट संख्या 10-अनुसूची 14 बीमे के अन्तर्गत शामिल कुछ हानियों को लेखे में न लेने के संबंध में है। मरम्मत पर हुए वास्तविक खर्च पर दावे अभी दायर किए जाने हैं और धनराशि चमेरा जल विद्युत परियोजना में है, जिनका निर्धारण नहीं किया गया है।

   ix) नोट सं. 13-अनुसूची 14 ठेकेदारों को दी गई सामग्री, पूंजीगत व्यय के लिए पेशगी, विविध देनदारों, विविध लेनदारों, कुछ परियोजनाओं में ठेकेदारों व अन्यों से जमा/बयाने की राशि के समाधान/पुष्टि न होने के संबंध में है।

   x) नोट सं. 18-अनुसूची 14 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई और खातों में समायोजित न की गई कुछ अधिकता/गलत डेबिट और क्रेडिट के संबंध में है इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

   xi) नोट सं. 19-अनुसूची 14 बीमांकिक मूल्यांकन के बगैर अनुमानित आधार पर वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के प्रावधान के संबंध में है। इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

   xii) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना में मुख्य मालसूची और ऋण व पेशगी के अंतर्गत वर्गीकृत कुछ लेखा शीर्षों के पिछले वर्ष से संबंधित लेन देन के ब्यौरे यूनिट में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रबंध वर्ग का कहना है कि ये ब्यौरे आग में जल कर नष्ट हो गए हैं।

xiii) चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम में, पूंजीगत व्यय के लिए पेशगी और नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य पेशगी में क्रमशः 458629 रु. और 5862495 रु. शामिल हैं, जिसके संबंध में हम अनन्तिम निकासी या अन्यथा लंबित विस्तृत छानबीन और अनुवर्ती समायोजनों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

xiv) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-।) में बड़े ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए संयंत्र और उपस्कर के लिए भाड़ा प्रभार वसूली के आधार पर अंतिम समझौते के लिए लंबित अनुबंध में दी गई दरों पर चार्ज नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार से वसूली योग्य 456.93 लाख रु. भाड़ा प्रभार लेखे में कम हो गया है और उस राशि से निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च पर अधिक खर्च आता है।

xv) दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टम (जम्मू) में, 'ठेकेदारों को दिए गए भण्डार' शीर्ष के अंतर्गत 436514.83 रु. का क्रेडिट शेष दूसरे सिविल निर्माण कार्य डब्लयू आई पी को बिना समाधान के मनमाने ढंग से हस्तांतरित कर दिया गया इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्तः-

(क) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे विचार से जैसा कि बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कि कम्पनी ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

पैरा 2 में संदर्भित मामले व लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र पर इसके अनुवर्ती प्रभाव के अधीन संलग्न अनुसूचियों व लेखा नीतियों के साथ पठित कथित लेखे और उन पर टिप्पणियां सही व स्पष्ट विचार प्रस्तुत करती हैं:-

i) 31 मार्च 1992 को कम्पनी के कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र के मामले में।

ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ संबंधी लाभ व हानि लेखे के मामले में।

कृते व की ओर से
सुमेर बंसल व कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नई दिल्ली
दिनांक 11.11.1992

ए.के. जैन
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संबंध में:

1. कारपोरेशन ने स्थिर परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से के बारे में रिकार्ड रखे हैं, लेकिन कुछ मामलों में रखे गए रिकार्डों में स्थिति नहीं दर्शायी गई है। प्रबंध वर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं में परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है। कुछ मामलों में रिपोर्टें मिलान के अधीन हैं, जिसके कारण इन परियोजनाओं में कमियों, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। अन्य परियोजनाओं में जहां वास्तविक सत्यापन किया जा चुका है, कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।
2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।
3. प्रबंधवर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में माल सूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति कारपोरेशन के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है।
4. दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना और चमेरा जल विद्युत परियोजना को छोड़कर जहाँ पता चली कमियां समाधान/सत्यापन के अधीन हैं, भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल के वास्तविक सत्यापन के समय उनमें पाई गई कमियां वर्ष के दौरान लेखे में समायोजित कर दी गई हैं।
5. मालसूचियों का मूल्य कीमत के अनुसार लिया गया है और वर्ष के अन्त में भंडार बहियों के साथ मिलान किया गया है। केवल दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, उड़ी जल विद्युत परियोजना, और चमेरा जल विद्युत परियोजना के कनाडियन भंडारों के संबंध में, जहां मालसूची का मूल्य सामान्य खाते के अनुसार लिया गया है जो कि मानक (स्वीकृत) लेखा सिद्धांतों के अनुसार नहीं है और जिसका वर्ष के अन्त में भंडार बहियों के साथ मिलान नहीं किया गया है।
6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 370 (1-बी) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार रखे गए, रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों/फर्मों या अन्य पार्टियों से कारपोरेशन ने आरक्षित या अनारक्षित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।
7. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों, जिनकी शर्तें प्रथम दृष्टि में कम्पनी के हित में नहीं थीं, को कारपोरेशन ने कोई ऋण नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 370(1-बी) के अर्थ में इस प्रबंध वर्ग के अन्तर्गत और कोई कंपनियां नहीं हैं।
8. कारपोरेशन ने कारपोरेशन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेशगी के रूप में ऋण दिए हैं, जो सामान्यतः निर्दिष्ट ढंग से मूलराशि लौटा रहे हैं और ब्याज जहां लागू हैं, की अदायगी भी सामान्यतः नियमित रूप से कर रहे हैं।
9. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों, कच्चे मालों (पुर्जों सहित) संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कम्पनी के आकार और इसके कार्यों के अनुरूप है।
10. जैसाकि हमें बताया गया है—बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों/कच्चे मालों की पहचान के लिए कारपोरेशन के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय लेखे की बहियों में की जाती है।
11. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए लागू नियमों के अन्तर्गत कारपोरेशन ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।
12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन में कचरे की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
13. कारपोरेशन में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है, लेकिन कारपोरेशन के आकार और व्यवसाय की किस्म को ध्यान में रखते हुए इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।
14. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकाडों का रखरखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नही किया गया है।
15. कारपोरेशन एन.एच.पी.सी. कर्मचारी ट्रस्ट के पास तदर्थ आधार पर भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है और ये देयताएं भविष्य निधि ट्रस्ट लेखे में समंजन/समाधान के अधीन हैं।
16. 31 मार्च, 1992 को आयकर, सम्पति-कर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और उत्पादकशुल्क के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं है।
17. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत खर्चे जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं को छोड़कर को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।
18. बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में कारपोरेशन बीमार औद्योगिक कारपोरेशन नहीं है।
19. एजेंसी कार्यों/डिपाजिट कार्यों के संबंध में:-
    i) कारपोरेशन में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग में ली गई सामग्रियों और मानव घण्टों के युक्तिसंगत आवंटन के लिए व्यवस्था है।
    ii) कार्यों के लिए भंडार जारी करने और भंडारों के आवंटन तथा श्रमिक संबंधी अपेक्षित नियंत्रण सहित उचित स्तरों पर प्राधिकरण की समुचित पद्धति मौजूद है। कम्पनी के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूत बनाने की जरूरत है।

कृते व की ओर से
सुमेर बंसल व कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ए.के. जैन
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 नवम्बर, 1992

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

तुलन-पत्र

निधियों के उपयोग

स्थिर पूंजीगत खर्च

1. **सकल ब्लॉक: 148323 लाख रुपये:-**

   संयंत्र की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से 3 पुराने रनर्स (मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है) के स्थान पर संशोधित रनर्स (732 लाख रुपये मूल्य के) लगाए गए थे, जो पुराने रनर्स की कीमत समायोजित किए बगैर वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान पूंजीकृत किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप सकल ब्लॉक (राशि का निर्धारण नहीं किया गया है) का अतिविवरण हुआ है।

2. **चालू पूंजीगत कार्य: 269929 लाख रुपये**

   उपर्युक्त राशि में फ्रेंच कंसोर्टियम को टर्नकी आधार पर दिए गए कार्य से पहले प्राप्त 212.10 लाख रुपये का सिविल निर्माण (पायलट टनल) पर हुआ खर्च शामिल है। किन्तु सिविल निर्माण कार्य टर्नकी ठेकेदारों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह कार्य मंजूर की गई डिजाइन के अनुकूल नहीं है और यह तथ्य लेखों में नहीं दिया गया है।

3. **निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च: 129417 लाख रुपये**

   i. उपर्युक्त राशि में छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान और लीज किराए का 23.66 लाख रुपये का प्रावधान शामिल नहीं है और 23.66 लाख रुपए का अधिविवरण हुआ है।

   ii. इसमें अतिरिक्त मूल्यह्रास लिए जाने के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य में 33.51 लाख रुपए का अतिविवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों में 33.51 लाख रुपए का अधिविवरण शामिल है।

4. **चालू परिसम्पत्तियां ऋण व पेशगियां**
   ऋण व पेशगियां: 6518 लाख रुपए

   i. उपर्युक्त राशि में कम्पनी द्वारा 101 लाख रुपए के स्वीकार किए गए दावों का अतिविवरण हुआ है, जो ठेकेदार को दी गई पेशगी राशि में से काटा नहीं गया है और 12.24 लाख रुपए निर्माण के दौरान खर्च के रूप में दिखाए गए हैं। परिणाम स्वरूप चालू पूंजीगत कार्य में 113.24 लाख रुपए का अधिविवरण हुआ है।

   ii. उपर्युक्त राशि में फर्म द्वारा नवम्बर 1991 तक आपूर्ति किए जा चुके 68.5 लाख रुपए का अतिविवरण भी हुआ है और उसी राशि की ''मालसूचियों'' में अधिविवरण हुआ है।

   iii. उपभोग्य वस्तुओं में प्राप्त और 31 मार्च 1992 से पहले उपयोग में लाई गई वस्तुओं की 39.28 लाख रुपए की राशि गलती से बताए गए अधिविवरण में 'चालू पूंजीगत कार्य' में शामिल है।

(कंवल नाथ)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के मुख्य
निदेशक व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा
बोर्ड III, नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांक 23 दिसम्बर, 1992

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 1,44,000 रुपए से कम नहीं था						
सर्व/श्री बंदोपाध्याय, एम.आर. प्रमुख	1,49,029	नियमित	एम.एस.सी. (एप्लाइड जियोलॉजी) (30 वर्ष)	29.12.80	55	जियोलॉजिस्ट (वरि.) जी.एस.आई.
डिवेटिया, कु.ई. महाप्रबंधक	1,56,917	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम. (टैक.) स्ट्रक्ट. (33 वर्ष)	20.03.79	55	उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग
गंगोपाध्याय, ए.के. मुख्य इंजीनियर	1,45,861	नियमित	बी.ई. (सिविल) (26 वर्ष)	10.09.81	46	कार्यपालक इंजीनियर, पी.डब्लुयू.डी गोवा, दमन व दियू सरकार, पणजी
गुलाटी, विनोद प्रमुख (ई.डी.पी.)	1,68,047	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक), पी.जी. इन इलै. एण्ड मैक. इंजी., डिप्लोमा इन एड व.डब्लयू.एस. डिप्लोमा इन ई.डी.पी. एण्ड एस., पी.जी. डिप्लोमा इन पी.एम.एण्ड आई.आर. (25 वर्ष)	01.03.80	45	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता, जी.सी. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1,59,981	नियमित	एम.बी.बी.एस. (22 वर्ष)	24.04.81	45	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता, एम.एल. मुख्य इंजीनियर	1,57,447	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (मैक.) (25 वर्ष)	29.04.80	47	उप प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
हाई, एम.ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	2,15,275	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (मैक.), एफ.आई.आई.पी.एम. (36 वर्ष)	10.03.89	57	निदेशक (तकनीकी) एन.टी.पी.सी.
जैन, ए.के. महा प्रबंधक	1,88,546	नियमित	बी.कॉम., ए.सी.ए. (23 वर्ष)	28.11.78	46	उप लेखा प्रबंधक, इफको, नई दिल्ली
कोछड़, जे.एन. प्रमुख	1,63,013	नियमित	बी.ए. (32 वर्ष)	10.08.81	56	सिविलियन अधिकारी ग्रेड-I, डी.जी. बार्डर रोड्स का कार्यालय
कृष्ण मोहन प्रमुख	1,45,596	नियमित	एम.ए. (एल.एस.डब्लयू.) (28 वर्ष)	05.06.78	54	उप प्रबंधक (कार्मिक), भारत कुकिंग कोल लिमिटेड
मित्तल, एस.के. महा प्रबंधक	1,54,684	नियमित	बी.ई. (इलै.) (32 वर्ष)	23.05.78	56	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
नन्द गोपाल मुख्य इंजीनियर	1,46,585	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई. (स्ट्रकचर्स) (25 वर्ष)	03.04.80	50	उप प्रबंधक, टी.एस.पी. लि. तुंगभद्रा बांध
रामामूर्ति, ए.आर. प्रमुख (वित्त व लेखा)	1,47,902	नियमित	बी.ए., ए.आई.सी. डब्लयू.ए., ए.सी.एस. (38 वर्ष)	11.08.78	55	वरि. सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
रामन, एन.वी. कम्पनी सचिव व महाप्रबंधक	1,44,955	नियमित	बी.ए., एलएलबी, जी.डी.सी.एस., ए.सी.एस., आई.सी. डब्लयू.ए. (इंटर) डिप्लोमा इन लेबर लॉ	15.12.78	55	उप कम्पनी सचिव, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
राव, पी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,52,759	नियमित	ए.एम.आई.ई. डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन (32 वर्ष)	12.03.81	53	डिविज़नल इंजीनियर, रिहैबिलिटेशन एण्ड रेक्लेमेशन आर्गेनाइजेशन, रिहैबिलिटेशन विभाग, भारत सरकार
सेन, एस.सी. निदेशक (तकनीकी)	1,84,489	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (सिविल), एफ.आई.ई. (36 वर्ष)	31.08.84	57	मुख्य इंजीनियर, ए.एस.ई.बी.
शर्मा, पी.डी. मुख्य इंजीनियर	1,63,929	नियमित	ए.एम.आई.ई. डिप्लोमा इन इलै.इंजी., एलएलबी, एफ.आई.ई. (28 वर्ष)	29.08.77	48	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शर्मा, आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,45,780	नियमित	बी.ई. (इलै.) पी.जी. डिप्लोमा इन इलै.इंजी. डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट (23 वर्ष)	31.08.78	45	सहायक इंजीनियर, ब्यास परियोजना, चण्डीगढ़
सिंह, जी.पी. निदेशक (परियोजना)	1,74,461	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी. इंजी. (इलै.) (32 वर्ष)	26.11.87	56	वरिष्ठ प्रबंधक (हाइड्रो), केन्या लाइटिंग कंपनी
सिंह, मेजर आर.डी.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,48,640	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (25 वर्ष)	21.03.79	48	भारतीय सेना में मेजर
सिन्हा, बी.एस.पी. प्रमुख	1,46,163	नियमित	बी.ए., एम.आई.एम.एम. (यू.के.,) (29 वर्ष)	03.06.81	52	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
सूरी, बी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,48,436	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (इलै.) पी.जी. डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट (32 वर्ष)	12.07.82	56	अधीक्षक इंजीनियर, इलैक्ट्रिकल पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर
वर्मा, ब्रिगे.आर.के. ए.वी.एस.एम. (रिटायर्ड) निदेशक (कार्मिक)	1,80,080	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी., पी.जी. इन डिफे. स्टडीज़, पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट, लेबर लॉ एण्ड एक्सप. मार्किटिंग मैनेजमेंट (37 वर्ष)	15.05.89	57	भारतीय सेना में ब्रिगेडियर

ख. उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 12,000/- रुपए प्रतिमास से कम नहीं था।

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
सर्व/श्री						
घनश्याम दास निदेशक (वित्त)	1,68,760	सरकारी नियुक्ति	बी.कॉम., आई.ए. एण्ड ए.एस. (33 वर्ष)	31.07.87	58	अपर महा प्रबंधक (वित्त) बी.एच.ई.एल.
मुखर्जी, के. प्रमुख	1,26,423	नियमित	एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (35 वर्ष)	25.01.79	56	सहायक वित्त प्रबंधक, एफ.सी.आई.

टिप्पणियां :

(1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, कम्पनी पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

(4) (क) ''पारिश्रमिक'' में ये बातें शामिल हैं—कार्पोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि।

(ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि इसे अनुमानित आधार पर दिया गया है नहीं गिना गया है,क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन बीमा निगम से तय ग्रेच्यूटी तथा जीवन बीमा निगम पॉलिसी के आधार पर की गई है।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसत पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, औसतन से अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कम्पनी के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

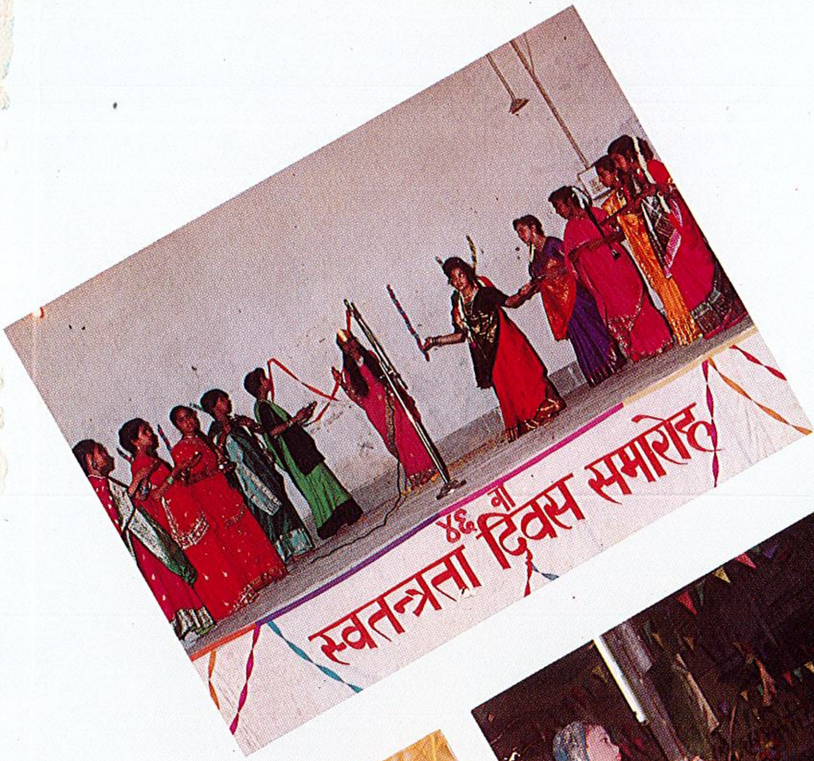
स्वतन्त्रता दिवस समारोह

एनएचपीसी परिवार

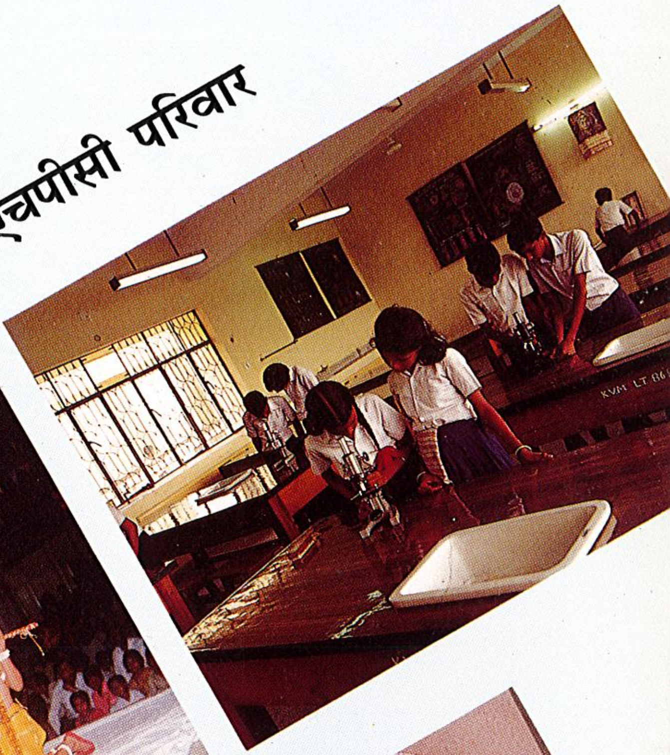

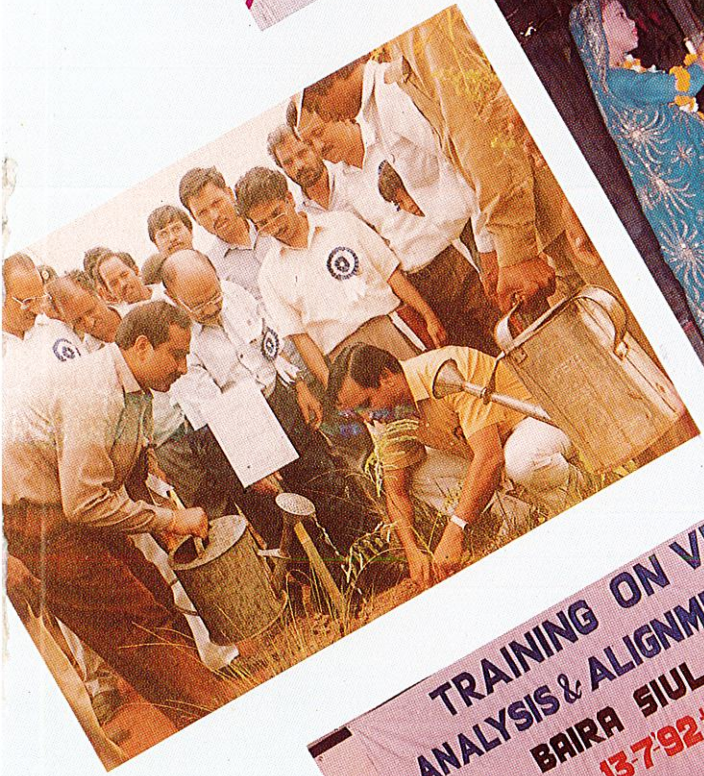

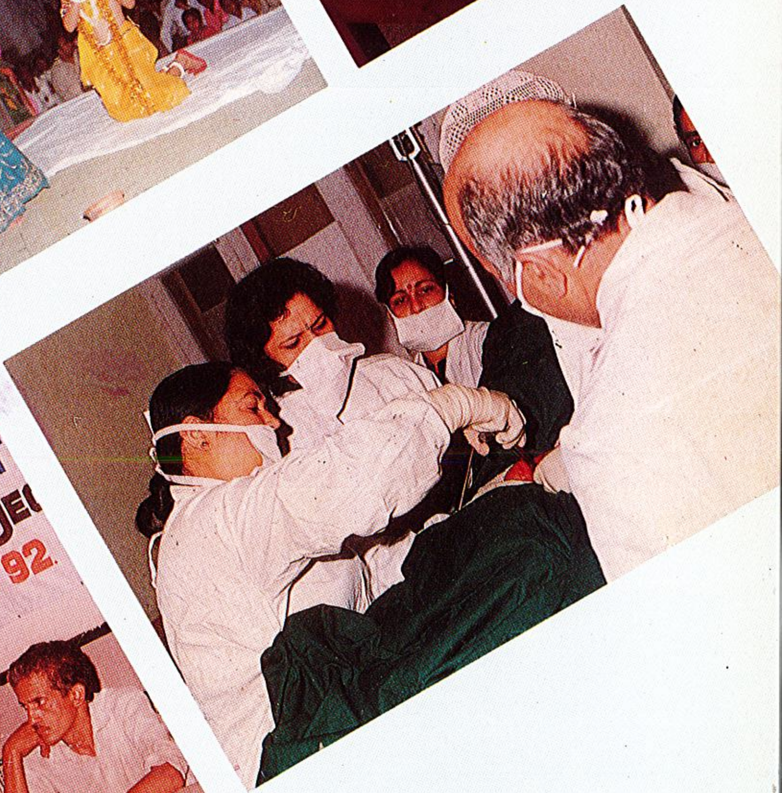

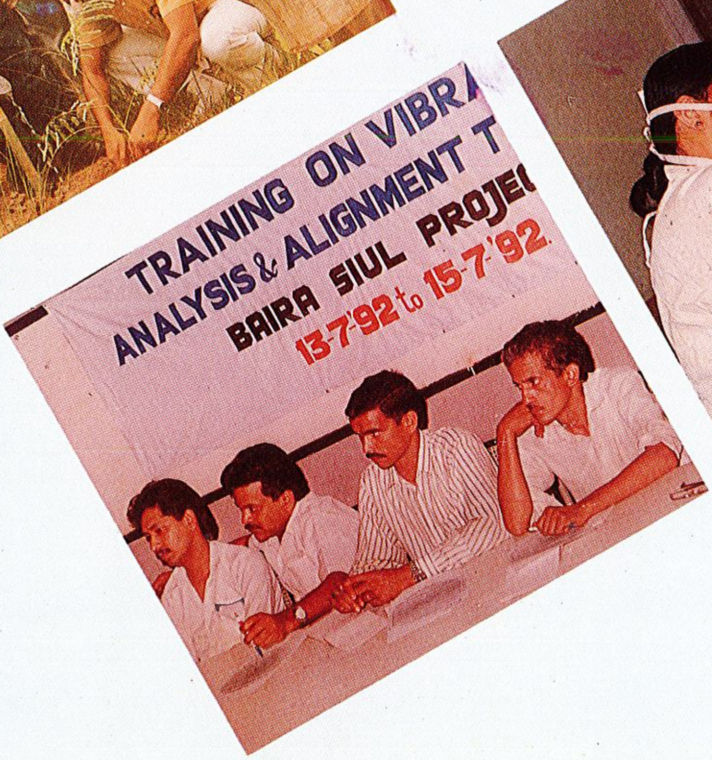
TRAINING ON VIBRA
ANALYSIS & ALIGNMENT T
BAIRA SIUL PROJE
13-7-'92 to 15-7-'92